उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004

अधिसूचना

दिनांक सितम्बर 14, 2004

संख्या F-9(8)/RG/UERC/2004/596--उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (36 का 2003) की धारा 181 तथा उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन तथा उपान्तर आदेश 2001 की धारा 52 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समस्त समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :—

अध्याय 1—सामान्य

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा निर्वचन :

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत होंगे।[1]

(3) इस विनियम का विस्तार सम्पूर्ण उत्तरांचल राज्य में होगा।

(4) उत्तर प्रदेश सामान्य खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 1904) इस विनियम की निर्वचन (व्याख्या) पर लागू होगा।

2. परिभाषाएं :

(1) इन विनियमों जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

(ए) 'केन्द्रीय अधिनियम' से विद्युत अधिनियम 2003 अभिप्रेत है।

(बी) 'अध्यक्ष' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है।

(सी) 'आयोग' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग अभिप्रेत है।

(डी) 'अधिकारी' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का अधिकारी अभिप्रेत है।

(ई) 'याचिका' से सभी याचिकाएं, आवेदन, परिवाद, अपीलें, उत्तर, प्रत्युत्तर, अनुपूरक, अभिवचन, अन्य कागज पत्र तथा दस्तावेज अभिप्रेत है।

(एफ) 'कार्यवाही' से सभी प्रकृति की कार्यवाहियां अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत वे सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ आती हैं जो केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम के अधीन आयोग अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कर सकता है।

(जी) 'प्रापक अधिकारी' से आयोग द्वारा याचिका प्राप्त करने हेतु नियुक्त/प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है।

(एच) 'विनियम' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2004 अभिप्रेत है।

(आई) 'सचिव' से उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग का सचिव अभिप्रेत है।

(जे) 'राज्य अधिनियम' से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम) अनुकूलन तथा उपान्तर आदेश, 2001 अभिप्रेत है।

(के) 'राज्य सरकार' से उत्तरांचल सरकार अभिप्रेत है।

---

[1]यह विनियम दिनांक 30.10.2004 के सरकारी गजट में प्रकाशित अंग्रेजी विनियम का हिन्दी रूपान्तरण है।, किसी भी तरह के निर्वचन (व्याख्या) के लिए अंग्रेजी विनियम अन्तिम मान्य होगा।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का जिन्हें इसमें पारिभाषित नहीं किया गया है उनका वही अर्थ होगा, जो केन्द्रीय अधिनियम में है। इन विनियमों में प्रयुक्त शब्दों अथवा अभिव्यक्तियों का जिन्हें न तो इन विनियमों में परिभाषित किया गया है और न ही केन्द्रीय अधिनियम में परिभाषित है किन्तु राज्य अधिनियम में परिभाषित है, का वही अर्थ होगा जो उनके लिए 'राज्य अधिनियम' में है।

(3) मूल विनियम अंग्रेजी में होगा तथा हिन्दी में इसका अनुवाद होगा।

3. आयोग का कार्यालय, कार्यालय समय तथा बैठकें :

(1) आयोग के कार्यालयों का स्थान आयोग द्वारा इस निमित्त समय–समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(2) जब तक अन्यथा निदेशित न किया जाए तब तक आयोग का मुख्यालय तथा अन्य कार्यालय शनिवार, रविवार और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित राज्य सरकार की छुट्टी के अतिरिक्त प्रतिदिन खुले रहेंगे। आयोग का मुख्यालय अथवा अन्य कार्यालय ऐसे समयों पर भी खुले रहेंगे जैसा आयोग द्वारा इस निमित समय–समय पर निदेश दिये जाए।

(3) जहाँ कोई अन्तिम कार्य दिवस ऐसे दिन पड़ता है, जिस दिन आयोग का कार्यालय बन्द रहता है तथा इस कारण से उस दिन कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है तो वहाँ वह कार्य अगले कार्यदिवस को किया जाएगा जिस दिन कार्यालय खुलता है।

(4) आयोग मामलों की सुनवाई के लिये बैठकें मुख्यालय अथवा किसी अन्य स्थान, दिन और समय पर आयोजित कर सकेगा, जैसा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. आयोग की भाषा :

(1) आयोग की कार्यवाहियाँ हिन्दी या अंग्रेजी में संचालित की जाएँगी ।

(2) हिन्दी अथवा अंग्रेजी से भिन्न अन्य किसी भी भाषा में कोई याचिका, दस्तावेज अथवा अन्य सामग्री आयोग द्वारा तभी स्वीकार की जाएगी जब इनका अग्रेंजी में अनुवाद संलग्न किया गया हो।

(3) कोई भी अनुवाद को जिसके लिए कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा सहमति दी जाती है अथवा कोई भी पक्षकार उस व्यक्ति का, जिसने उसका अग्रेंजी अनुवाद किया था, अधिप्रमाणिकता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो आयोग द्वारा उसे सही अनुवाद के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा।

5. आयोग की मुद्रा :

(1) आयोग की पृथक से मुद्रा होगी, जो यह उपदर्शित करेगी कि मुद्रा उसकी है।

(2) आयोग का प्रत्येक आदेश या दी गयी संसूचना, निर्गत नोटिस या आयोग द्वारा स्वीकृत प्रमाणित प्रति पर आयोग की मुद्रा होगी और सचिव या इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

6. आयोग का सचिव :

(1) सचिव, अध्यक्ष के नियन्त्रणाधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सचिव को उपर्युक्त उपबंधों की व्यापकता पर विशिष्टतया और प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी वह निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात :–

(ए) वह आयोग के अभिलेख तथा मुद्रा की अभिरक्षा करेगा और वह ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जो इन विनियमों द्वारा या अन्यथा आयोग द्वारा या अध्यक्ष द्वारा उसे सौंपे जायेंगे।

(बी) वह आयोग से सम्बन्धित याचिकाओं, आवेदनों अथवा सन्दर्भ को प्राप्त करेगा अथवा करवाएगा।

(सी) वह इस सम्बन्ध में आयोग को उसके कृत्यों का निर्वहन करने में इसके समक्ष के प्रत्येक मामले में विभिन्न पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी अभिवचनों का संक्षेप तथा सारांश तैयार अथवा करवाएगा।

(डी) वह आयोग द्वारा प्रयोज्य शक्तियों से सम्बन्धित कार्यवाही में आयोग का सहयोग करेगा।

(ई) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों को अधिप्रमाणित करेगा।

(एफ) वह आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा और,

(जी) वह राज्य सरकार, केन्द्र सरकार या उसके अभिकरण या अन्य कार्यालयों, कम्पनियों, फर्मों अथवा किसी अन्य पक्षकार से आयोग द्वारा यथा निदेशित ऐसी जानकारी जिसे केन्द्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों के कुशल निर्वहन के प्रयोजन के लिए उपयोगी समझा जाता है, एकत्र करने का अधिकारी होगा तथा जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(2) आयोग, अपने अधिकारियों को ऐसे कृत्य, जिसके अन्तर्गत इन विनियमों के अधीन सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य कृत्य भी हैं, ऐसे निबंधन और शर्तों पर प्रत्यायोजित कर सकेगा, जैसा आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) सचिव, आयोग के अनुमोदन से इन विनियमों अथवा अन्यथा सचिव द्वारा प्रयोक्तव्य अपेक्षित किसी भी कृत्य को किसी भी अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) सचिव की अनुपस्थिति में, आयोग का ऐसा कोई अन्य अधिकारी जिसे अध्यक्ष द्वारा पदाभिहित किया जाये, सचिव के सभी कृत्यों का प्रयोग करेगा।

(5) आयोग को यह प्राधिकार होगा कि वह किसी भी समय या तो किसी हितबद्ध अथवा प्रभावित पक्षकार से प्राप्त आवेदन पर अथवा स्वःप्रेरणा से यदि आयोग ऐसा किया जाना उपयुक्त समझता है, सचिव द्वारा अथवा आयोग के अधिकारियों द्वारा किए गये किसी आदेश अथवा की गई कार्यवाही का पुनर्विलोकन, प्रतिसंहरण, पुनरीक्षण, उपान्तरण, संशोधन परिवर्तन अथवा अन्यथा परिवर्तन कर सकेगा।

7. उपभोक्ता संघ :

(1) आयोग किसी भी संघ/फोरम अथवा अन्य निगमित निकायों या उपभोक्ताओं के किसी भी समूह को आयोग के समक्ष किसी भी कार्यवाही में भाग लेने के लिये, ऐसे निबंधन और शर्तों पर जो भाग लेने की प्रकृति और सीमा शामिल होगी, अनुमति दे सकेगा।

(2) आयोग, जब कभी भी यह उचित समझे, संघों, समूहों, फोरम या निगमित निकायों को, आयोग के समक्ष उनका प्रतिनिधित्व करने के प्रयोजनार्थ रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता संघ के रूप में मान्यता के लिए प्रक्रिया अधिसूचित कर सकेगा।

(3) आयोग यदि आवश्यक समझे तो वह उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए, जैसा आयोग उचित समझे, किसी अधिकारी अथवा व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगा।

(4) आयोग, उपभोक्ताओं के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिये नियुक्त अधिकारी अथवा व्यक्ति को ऐसी फीस, लागत या खर्चे के भुगतान के लिए ऐसा निदेश दे सकेगा जैसा आयोग उपयुक्त समझे और जो कार्यवाही के पक्षकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

अध्याय 2—आयोग के समक्ष कार्यवाहियों से सम्बन्धित सामान्य नियम

8. आयोग के समक्ष कार्यवाही :

(1) आयोग समय–समय पर ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जिसे वह केन्द्रीय अधिनियम एवं राज्य अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में समुचित समझे। आयोग किसी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे वह कार्यवाही में आयोग के प्रतिनिधि के रूप में मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिये उचित समझे, नियुक्त कर सकता है।

(2) सभी मामलों को जिसमें आयोग से केन्द्रीय अधिनियम व राज्य अधिनियम के अधीन प्रभावित पक्षकारों की सुनवाई के माध्यम से निष्पादित करने की अपेक्षा की जाये और ऐसे अन्य मामलों को जिन्हें आयोग उचित समझे, ऐसी कार्यवाही के माध्यम से अधिनियम और इस विनियम के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया से किया जायेगा।

(3) अन्य सभी मामलों का विनिश्चय, अध्यक्ष, सचिव या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें शक्ति और कृत्य प्रत्यायोजित किये गये हैं, द्वारा प्रशासनिक रूप से किया जायेगा।

9. प्रतिनिधित्व का प्राधिकार :

कोई व्यक्ति, आयोग के समक्ष अपना पक्ष समर्थन अपनी ओर से कार्य करने और प्रतिनिधित्व करने के लिए आयोग द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट रीति से किसी अधिवक्ता या किसी कानूनी वृत्तिक के निकाय के ऐसे सदस्य को जो कि विधिक व्यवसाय का प्रमाण–पत्र रखता हो, प्राधिकृत कर सकेगा। कोई व्यक्ति आयोग के समक्ष स्वयं भी उपस्थित हो सकेगा या अपनी ओर से अपने किसी कर्मचारी को उपस्थित होने और कार्य करने या अभिवचन के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। आयोग, समय–समय पर, ऐसे निबन्धन और शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके अधीन रहते हुए कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपनी ओर से प्रतिनिधित्व करने और कार्य करने तथा अभिवचन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

10. कार्यवाहियों का शुरू करना :

(1) आयोग स्वतः अथवा किसी प्रभावित या हितबद्ध व्यक्ति द्वारा फाइल की गई याचिका पर कार्यवाही शुरू कर सकेगा।

(2) आयोग, कार्यवाही शुरू करने का नोटिस जारी कर सकेगा तथा आयोग, यदि आवश्यक समझे तो प्रभावित पक्षकारों को ऐसे नोटिस तामील के लिये, उत्तर फाइल करने के लिए और याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर तथा प्रत्युत्तर उपयुक्त प्रारूप में फाइल किए जाने के निदेश भी दे सकेगा। आयोग यदि उचित समझे, तो कार्यवाही के मामले पर टीका टिप्पणीयाँ ऐसे प्रारूप में जैसा आयोग निदेश दे, आमंत्रित करते हुए याचिका के प्रकाशन के लिए आदेश जारी कर सकेगा।

(3) आयोग उचित मामलों में जाँच के नोटिस जारी करते समय आयोग के किसी अधिकारी को या किसी अन्य व्यक्ति को जिसे आयोग बाद में याचीकर्ता के रूप में मामले को प्रस्तुत करने के लिये उचित समझे, निर्दिष्ट कर सकता है।

11. आयोग के समक्ष याचिका तथा अभिवचन :

(1) आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली सभी याचिकाएं और अभिवचन टाईप, साइक्लोस्टाइल सफेद कागज के एक ओर स्वच्छ और पठनीय रूप में मुद्रित होनी चाहिए और प्रत्येक पृष्ठ क्रम में क्रमशः संख्यांकित होना चाहिए। याचिका की विषय वस्तु अलग–अलग पैरा में समुचित रूप में विभाजित होनी चाहिए, जो कि क्रम से संख्यांकित हो।

(2) याचिका सात प्रतियों या आयोग द्वारा निर्दिष्ट संख्या में फाइल की जाएगी तथा याचिका का प्रत्येक सेट सभी प्रकार में पूर्ण होना चाहिए। आयोग इसके अतिरिक्त याचिका की प्रतियां इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी, ऐसे नियम व शर्तों के साथ जैसा वह निर्दिष्ट करे, मांग सकता है।

(3) सभी याचिकाओं में तात्विक विशिष्टियां, चाहा गया अनुतोष, लागू होने वाले कानून के प्राविधान तथा ऐसे अनुतोष के आधार के साथ तथ्यों का विवरण स्पष्ट व संक्षिप्त रूप में शामिल होना चाहिये।

(4) याचिका के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट विवरण समर्थित तथ्य तथा दस्तावेज फाइल किए जाने चाहियें।

(5) आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट फीस, याचिका दाखिल करते समय देना होगा।

12. साधारण शीर्षक :

आयोग के समक्ष सभी याचिकाओं के और सभी प्रकाशनों तथा नोटिसों के साधारण शीर्षक इस विनियम के संलग्न प्रपत्र–1 में या समय–समय पर आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित में होंगे।

13. समर्थन में शपथ–पत्र :

(1) प्रत्येक याचिका शपथ–पत्र द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत की जाएगी तथा शपथ–पत्र इस विनियम के संलग्न प्रपत्र–2 में या समय–समय पर आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट प्रारूप में होंगे।

(2) सभी शपथ–पत्र एक वचन में लिखे जाने चाहिएं तथा पूरा नाम, उम्र, व्यवसाय और अभिसाक्षी का पता तथा वह हैसियत जिसमें वह हस्ताक्षर कर रहा है तथा जिस हैसियत में शपथ–पत्र लेने के लिए तथा प्राप्त करने

के लिये वैधानिक रूप से प्राधिकृत व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षरित व शपथित किए जा सकेंगे, का विवरण होना चाहिए।

(3) प्रत्येक शपथ–पत्र में कथन स्पष्टतः तथा अलग से प्रतीत यह उपदर्शित करेंगे कि उसमें :–

(ए) अभिसाक्षी के ज्ञान अनुसार,

(बी) अभिसाक्षी को प्राप्त जानकारी के अनुसार, तथा

(सी) अभिसाक्षी के विश्वास के अनुसार सत्य है।

(4) शपथ–पत्र में जहाँ किसी कथन को अभिसाक्षी को प्राप्त सूचना के अनुसार सत्य कहा गया हो, शपथ–पत्र सूचना के स्रोत भी प्रकट करेगा तथा एक कथन भी संलग्न करेगा कि अभिसाक्षी को विश्वास है कि उक्त जानकारी सत्य है।

(5) भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 193 के अनुसार जो कोई आयोग की किसी भी कार्यवाही में साशय मिथ्या साक्ष्य देगा या किसी कार्यवाहियों में प्रयोग के प्रयोजन से गलत साक्ष्य गढ़ेगा, वह कारावास से जो सात वर्ष तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।

14. प्रस्तुतिकरण तथा याचिकाओं की जाँच :

(1) सभी याचिकायें व्यक्तिगत रूप से या किसी प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा मुख्यालयों में या आयोग द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए गए ऐसे अन्य फाइलिंग केन्द्र या केन्द्रों पर नियत समय के दौरान प्रस्तुत की जाएगी। आयोग को याचिकाएं ऊपर उल्लिखित स्थानों पर रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा भी भेजी जा सकती है। यदि यह मामले अभिलेख पर पहले से दर्ज न किए गए हों तो प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि द्वारा याचिका प्रस्तुत करते समय अधिवक्ता के पक्ष में वकालतनामा तथा याचिका के साथ प्रतिनिधि को प्राधिकृत करने वाले दस्तावेज भी फाइल किये जाने चाहिए।

(2) याचिका प्राप्ति पर, याचिका प्राप्ति के प्रयोजन के लिए प्राप्तिकर्ता अधिकारी मुहर लगा कर और तिथि का पृष्ठांकन करके याचिका की प्राप्ति अभिस्वीकार करेगा तथा याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को मुहर और तारीख के साथ प्राप्ति सूचना भी देगा। याचिका यदि पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त होती है तो जिस तारीख को आयोग के कार्यालय में वास्तविक रूप में प्राप्त होगी वही तारीख याचिका के प्रस्तुतिकरण की तारीख माना जाएगा।

(3) याचिका के प्रस्तुतिकरण और प्राप्ति की प्रविष्टि आयोग के कार्यालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए रखे गए रजिस्टर में सम्यक् रूप से की जाएगी।

(4) प्राप्तिकर्ता अधिकारी किसी ऐसी याचिका को स्वीकार करने से इन्कार कर सकता है जो केन्द्रीय अधिनियम राज्य अधिनियम या विनियमों या आयोग द्वारा दिये निर्देशों के अनुरूप न हों या कोई अन्य त्रुटि है या जो विनियमों या आयोग के निर्देशों के अनुसार के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से प्रस्तुत की गई है। परन्तु किसी याचिका को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिये दिए गए समय में त्रुटि सुधार का अवसर दिए बिना, अभिवचनों में या उसकी प्रस्तुतिकरण में त्रुटि की वजह से नामंजूर नहीं किया जाएगा। प्राप्तिकर्ता अधिकारी फाइल की गई याचिका में की गई त्रुटियों को, याचिका फाइल करने वाले व्यक्ति को लिखित रूप में सूचित करेगा।

(5) याचिका के प्रस्तुतिकरण के सम्बंध में प्राप्तिकर्ता अधिकारी के किसी आदेश से व्यथित व्यक्ति यह प्रार्थना कर सकता है कि मामले को समुचित आदेशों के लिये आयोग के सचिव के सम्मुख रखा जाए।

(6) अध्यक्ष, पक्षकार द्वारा प्रस्तुत याचिका मंगाने का हकदार होगा और याचिका के प्रस्तुलिकरण और मंजूरी से सम्बन्धित ऐसे निर्देश दे सकेगा, जिन्हें वह उचित समझे।

(7) यदि जांच करने पर, याचिका नामंजूर नहीं की जाती अथवा सचिव या अध्यक्ष द्वारा नामंजूरी के किसी आदेश को परिशोधित किया जाता है तो याचिका सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में एक नम्बर दिया जाएगा।

(8) जैसे ही याचिका और सभी आवश्यक दस्तावेज दाखिल किए जाते हैं या त्रुटि और आपत्तियाँ, यदि कोई हों तो, दूर की जाती हैं तथा याचिका की जांच कर ली गई हो, तथा उसे संख्याकित कर दिया गया हो तो याचिका प्रारम्भिक सुनवाई तथा स्वीकृति के लिये आयोग के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। परन्तु व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ताओं के समूह या उपभोक्ता संगठनों की शिकायत की स्थिति में, निपटारे के लिये उसे केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42(5) के अधीन इस प्रयोजन हेतु स्थापित उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 42(6) के अधीन आयोग द्वारा नियुक्त ओम्बड्समैन को संदर्भित किया जा सकता है।

(9) आयोग, पक्षकार की उपस्थिति की आवश्यकता के बिना भी याचिका को स्वीकृत कर सकता है। आयोग सम्बद्ध पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिये बिना याचिका स्वीकृति रद्द करने के आदेश पारित नहीं करेगा।

(10) यदि आयोग, याचिका स्वीकार करता है तो प्रत्यर्थी (प्रत्यार्थियों) तथा अन्य प्रभावित या हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे प्रारूपों में जिन्हें आयोग निर्दिष्ट करें, याचिका के पक्ष या विपक्ष में उत्तर या प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिये, नोटिस तामील करने के लिए तथा याचिका को यथास्थिति, आयोग के समक्ष सुनवाई के लिए रखने के ऐसे आदेश या निर्देश दे सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे।

15. आयोग द्वारा जारी नोटिस और आदेशिका की तामील करना :

(1) आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले किसी नोटिस या आदेशिका की तामील, आयोग द्वारा निर्देशित निम्न प्रकारों में से किसी एक या अधिक प्रकार से की जा सकेगी :—

(ए) कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा तामील,

(बी) किसी संदेश वाहक द्वारा व्यक्तिगत रूप से पहुँचाना,

(सी) पावती सहित रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा,

(डी) उन मामलों में, जहां आयोग का यह समाधान हो गया है कि किसी व्यक्ति को उपर्युक्त प्रकार से नोटिस आदेशिका आदि तामील करना व्यवहारिक नहीं है, समाचार पत्रों में प्रकाशन द्वारा,

(ई) किसी अन्य प्रकार से जिसे आयोग द्वारा उचित समझे।

(2) प्रत्येक ऐसे मामले में आयोग को यह निर्णय करने का हकदार होगा कि कौन व्यक्ति इस प्रकार के तामील के प्रकाशन के व्यय का वहन करेगा।

(3) कोई नोटिस या आदेशिका जिसकी तामिल की जानी आपेक्षित है या किसी व्यक्ति को पहुचांनी जानी है उसे व्यक्तिगत या तामील स्वीकार करने के लिए उसके द्वारा दिये गये पते पर या उस स्थान पर जहां वह व्यक्ति या उसका अभिकर्ता प्रायः रहता है या व्यापार करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए कार्य करता है, भेजी जा सकेगी।

(4) उस दशा में जब कोई आयोग के समक्ष कोई मामला लम्बित हो तथा तामील किए जाने वाले व्यक्ति ने किसी अभिकर्ता या प्रतिनिधि को मामले में प्रस्तुत होने या स्वंय का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर दिया हो तो ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि को सभी मामलों में संबंधित पक्षकार की ओर से नोटिस और आदेशिकाएं तामील होने के लिये सशक्त समझा जाएगा और ऐसे अभिकर्ता या प्रतिनिधि को की गई तामील को, तामील किए जाने वाले व्यक्ति पर सम्यक् तामील माना जाएगा।

(5) जहां नोटिस कार्यवाहियों के किसी पक्षकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा पंजीकृत डाक द्वारा दिया जाए तो वह पक्षकार तामील का शपथ–पत्र आयोग में नोटिस और आदेशिकाओं के तामील की तारीख और रीति का विवरण देते हुए फाइल करेगा।

(6) जहां किसी याचिका को विज्ञापित करना अपेक्षित हो, वहां इसे आयोग द्वारा कि विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर विज्ञापित किया जाएगा, जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निर्देश न दिया जाये यह विज्ञापन दो दैनिक समाचार पत्रों जिनका उस क्षेत्र में अधिक प्रसार हो तथा आयोग द्वारा निदेशित किया गया हो, में दिया जायेगा।

(7) केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या विनियमों में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय और किसी निदेश के, जिसे आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित अधिकारी के अधीन रहते हुए, सुनवाई के लिये

आयोग आने वाले व्यक्ति अर्थात याची, आवेदक या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आयोग कार्यवाही के संचालन के लिए उत्तरदायी बनाये, सभी नोटिस सम्मन और अन्य आदेशिकाओं की तामीली और तामील किये जाने के लिये अपेक्षित नोटिस और आदेशिकाओं के विज्ञापन और प्रकाशन की व्यवस्था करेगा। आयोग तामीली को प्रभावी भी कर सकता है या किसी अन्य तरीके से जैसा वह उचित समझे तामीली को प्रभावित करने के लिये निदेश दे सकता है।

(8) त्रुटि के नोटिस, सम्मन या आदेशिकाओं की तामील उनके प्रकाशन के सम्बन्ध में विनियमों या आयोग के निदेशों के अनुपालना न होने पर आयोग या तो याचिका खारिज कर सकता है या ऐसे आदेश या अग्रतर निदेश दे सकता है जिन्हें आयोग ठीक समझे।

(9) व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि होने की वजह से किसी तामील या प्रकाशन को अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा परन्तु यह तब जबकि आयोग को यह समाधान हो गया हो कि ऐसी तामील अन्य सभी प्रकार से पर्याप्त है और किसी त्रुटि अनियमितता के कारण कोई कार्यवाही तब तक अविधिमान्य नहीं होगी जब तक कि आयोग, किए गए आक्षेप पर यह न समझे कि उस त्रुटि या अनियमितता के कारण वास्तव में अन्याय हुआ है या ऐसा करने के लिये अन्य पर्याप्त कारण हो।

16. उत्तर, विरोध, आक्षेपों इत्यादि को फाइल करना :

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे याचिका की सुनवाई का नोटिस जारी किया गया हो (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) जो याचिका का विरोध या समर्थन करना चाहता है, उत्तर और ऐसे दस्तावेजों को जिस पर निर्भर किया गया है, ऐसी अवधि के भीतर और प्रतियों की ऐसी संख्या में, जैसा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाये, फाइल करेगा। फाइल किए गए उत्तर में प्रत्यर्थी जांच के नोटिस या याचिका में दिए गए तथ्यों को विशिष्ट रूप से स्वीकार, इन्कार या स्पष्ट करेगा और ऐसे अतिरिक्त तथ्यों का भी अधिकथन करेगा जिन्हें वह मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक समझता है। उत्तर याचिका की ही रीति में हस्ताक्षरित तथा सत्यापित होगा और शपथ–पत्र द्वारा समर्थित किया जाएगा। प्रत्यर्थी उत्तर में यह भी इंगित करेगा कि क्या वह कार्यवाही में भाग लेने की और मौखिक सुनवाई की इच्छा करता है।

(2) प्रत्यर्थी उत्तर की एक प्रति दस्तावेजों की सत्य प्रति के रूप में सम्यक् रूप से सत्यापित प्रतियों के साथ याचिकाकर्ता को या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को तामील करेगा और आयोग के कार्यालय में ऐसी तामीली का प्रमाण भी फाइल करेगा।

(3) जहां प्रत्यर्थी मामले के न्यायपूर्ण निर्णय के लिये आवश्यक अतिरिक्त तथ्यों का अधिकथन करता है तो, आयोग याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी द्वारा दाखिल उत्तर का प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुज्ञा/अनुमति दे सकता है। उत्तर फाइल करने की ऊपर वर्णित प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए लागू होगी।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, (ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिन्हें उत्तर मांगते हुए नोटिस, आदेशिकाएं आदि जारी की गई हैं) जो इस प्रयोजन के लिए प्रकाशन के अनुसरण में आक्षेप या टिप्पणियां फाइल करने का आशय रखता है, इस प्रयोजन के लिए नियत समय के भीतर आक्षेपों या टिप्पणियों का विवरण, उन्हें समर्थन करने वाले दस्तावेजों की प्रतियों और साक्ष्यों के साथ आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित अधिकारियों को पहुचायेगा।

(5) यदि आयोग अधिकारी से प्राप्त रिर्पोट पर यह समझता है कि ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रतिभागिता मामले की कार्यवाहियों तथा निर्णय में मदद करेगी तो आयोग ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को जो उपविनियम (4) के अनुसार आपत्ति या टिप्पणी दाखिल करें, उन्हें, जैसा यह उसके समक्ष कार्यवाहियों में भाग लेने के लिये जिन्हें यह उपयुक्त समझें, अनुज्ञा दे सकता है।

(6) जब तक कि आयोग ने अनुज्ञा न दी हो या टीका टिप्पणियाँ फाइल करने वाले व्यक्ति कार्यवाहियों में भाग लेने का हकदार नहीं होगा, तथापि, आयोग आक्षेपों या टिप्पणियों के निपटान के लिये कार्यवाहियों के पक्षकारों को ऐसा अवसर जिसे आयोग उचित समझे, देने के पश्चात् फाइल किए गए आक्षेपों और टिप्पणियों को ध्यान में रखने का हकदार होगा।

17. मामले की सुनवाई :

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप मामले की सुनवाई के लिए प्रक्रम रीति, स्थान तथा समय निर्धारित कर सकता है।

(2) आयोग, पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर विनिश्चित कर सकता है या पक्षकारों को शपथ–पत्र द्वारा या मामले में मौखिक निवेदन द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

(3) यदि आयोग, पक्षकारों से शपथ–पत्र के रूप में साक्ष्य दिये जाने के लिये निदेश देता है, तो आयोग यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो दूसरे पक्षकारों को वह शपथ–पत्र के अभिसाक्षी की प्रति परीक्षा करने का अवसर दे सकता है।

(4) आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझे तो किसी अधिकारी या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित व्यक्ति को किसी भी पक्षकार के साक्ष्य रिकार्ड करने के लिए निदेश दे सकता है।

(5) आयोग, पक्षकार को मामले के तर्कों या निवेदनों का लिखित नोट फाइल करने का निदेश दे सकता है।

18. अतिरिक्त जानकारी, साक्ष्य आदि मांगने की आयोग की शक्तियाँ :

(1) आयोग, किसी भी मामले पर आदेश पारित करने के पूर्व किसी भी समय, पक्षकारों या उनमें से किसी एक या अधिक या किसी व्यक्ति को जिसे आयोग उचित समझे, ऐसे दस्तावेजों या अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निदेश दे सकता है जिन्हें आयोग स्वयं के आदेशों को पारित करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से आवश्यक समझे।

(2) आयोग साक्षियों को सम्मन या साक्ष्य के रूप में पेश किये जा सकने वाले किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक सामग्री की खोज या उसे पेश करने का किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख मांगने का आयोग के किसी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या नियन्त्रण में रखे ऐसे लेखों, बहियों, या अन्य दस्तावेजों या जानकारी की, जिसे आयोग मामले में समुचित समझता है परीक्षा करने का निदेश दे सकता है।

(3) भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 228 के अनुसरण में जो कोई साशय आयोग की कार्यवाहियों को अपमानित करेगा या बाधा उत्पन्न करेगा वह साधारण कारावास से जिसकी अवधि छः महीने तक हो सकती है या जुर्माना जो 1000/– रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दायी होगा।

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1974 की धारा 345 के अनुसरण में यदि कोई व्यक्ति इरादतन कोई अपमान करे या आयोग की उपस्थिति में कोई व्यवधान करे तो आयोग अपराधी को अभिरक्षा में निरूद्ध कर सकता है तथा न्यायपीठ के उठने से पहले किसी समय उसी दिन अपराध का संज्ञान ले सकता है तथा अपराधी को इस बात का कारण बताने के लिये, पर्याप्त अवसर देने के पश्चात्, कि उसे इस धारा के अन्तर्गत दण्ड क्यों न दिया जाये, अधिकतम 200 रु0 का अर्थ और दण्ड न भरने पर साधारण कारावास जिसकी अवधि एक माह तक हो सकती है, यदि यह अर्थ दण्ड उसके पहले न भर दिया जाये, की सजा दे सकता है।

19. विवादों का अन्यों को सन्दर्भ :

(1) आयोग कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर, मामले के ऐसे विवाद या विवादों को, जिन्हें वह उचित समझता है, ऐसे व्यक्तियों को, जिनमें आयोग के अधिकारी और परामर्शदाता भी सम्मिलित हैं परन्तु वे उन तक ही सीमित नहीं है और जिन्हें आयोग विशेषज्ञीय सलाह या राय देने के लिये अर्हत समझता है, निदेश करने का हकदार होगा।

(2) आयोग समय–समय पर किसी स्थान या स्थानों के निरीक्षण के लिए तथा स्थान के अस्तित्व या स्तर या वहाँ की सुविधाओं पर रिपोर्ट देने के लिए ऐसे व्यक्तियों को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा जिनमें अधिकारी और परामर्शदाता सम्मिलित है, परन्तु उन तक सीमित नहीं है।

(3) आयोग, यदि यह ठीक समझे तो पक्षकारों के ऊपर उपविनियम 1 व 2 में पदाभिहित व्यक्तियों के सम्मुख निर्दिष्ट मामलों पर अपने अपने विचार प्रकट करने के लिए पेश होने का निदेश दे सकता है।

(4) आयोग मामले का विनिश्चय करते समय ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गयी रिपोर्ट या राय, पक्षकारों द्वारा फाइल उत्तर को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा और यदि आवश्यक समझा गया तो रिपोर्ट या राय देने वाले व्यक्ति की आयोग की समक्ष परीक्षा होगी।

परन्तु आयोग ऐसी आख्या अथवा राय को निश्चायक मानने को बाध्य नहीं होगा।

20. जब कोई पक्ष उपस्थित न हो तो अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) जब कोई मामला सुनवाई के लिए लाया जाए और सुनवाई के लिए निश्चित तारीख को या सुनवाई की किसी ऐसी अन्य तारीख को जिस तक सुनवाई स्थगित हो, पक्षकारों में से कोई या उनका प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि पेश न हो तो आयोग, अपने विवेकाधिकार से जब याचिकाकर्ता या उस व्यक्ति के जो आयोग को सुनवाई के लिए प्रेरित करता है, अनुपस्थित रहने पर याचिका को व्यतिक्रम के लिए खारिज कर सकता है या याचिका पर निर्णय कर सकता है।

(2) जब कोई याचिका व्यतिक्रम के लिए खारिज कर दी जाए या उस पर एक पक्षीय विनिश्चय दे दिया जाए तो व्यथित व्यक्ति यथास्थिति याचिका खारिज होने या एक पक्षीय विनिश्चय होने के 30 दिन के भीतर पारित आदेश को वापस करने के लिए आवेदन फाइल कर सकता है तथा यदि आयोग का यह समाधान हो जाए कि जब याचिका की सुनवाई हुई उस व्यक्ति के अनुपस्थित रहने के पर्याप्त कारण थे, आयोग उन शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, आदेश वापस कर सकता।

21. आयोग के आदेश :

(1) आयोग, याचिका पर आदेशों को पारित करेगा तथा आयोग के अध्यक्ष आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे।

(2) आयोग, उसके समक्ष प्रस्तुत कार्यवाही के किसी चरण पर ऐसा अन्तरिम आदेश, जिसमें अन्तरिम एक पक्षीय आदेश भी सम्मिलित है, दे सकता है जिसे वह अन्य बातों पर विचार करते हुए कार्यवाही के किसी एक पक्ष या किसी अन्य व्यक्ति के जिसमें उपभोक्ता या उपभोक्ताओं का वर्ग या वर्गों सम्मिलित है/हैं, हित की रक्षा के लिये उचित समझें।

(3) आयोग द्वारा आदेशों के समर्थन में दिये गये कारण, आदेश का एक भाग होंगे तथा इन विनियमों के अनुसार निरीक्षण तथा प्रतियों को भेजे जाने के लिए उपलब्ध रहेंगे।

(4) आयोग द्वारा जारी या सूचित किये गये सभी आदेश सचिव के या आयोग द्वारा इस निमित्त संशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किए जाएंगे तथा उन पर आयोग के कार्यालय की मुद्रा होगी।

(5) आयोग के सभी आदेश कार्यवाही के सभी पक्षकारों को सचिव के या आयोग द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से संसूचित किये जायेंगे।

22. अभिलेखों का निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियों का भेजा जाना :

(1) कार्यवाही के सभी अभिलेख जिसमें दस्तावेज, अभिकथन, फोटोग्राफ, अभिलेखन चाहे श्रव्य(आडियो) या दृश्य(वीडियो) हों, आयोग की अनन्य सम्पत्ति होगी और उसका आयोग की पूर्व और लिखित अनुमति के बिना, प्रति मुद्रण, प्रदर्शित प्रकाशित, उद्धृत या प्रसारित नहीं किया जा सकता।

(2) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेख पक्षों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिये या तो कार्यवाही के दौरान या आदेश पारित होने के पश्चात् किसी समय शुल्क के भुगतान और ऐसे अन्य निबन्धनों के अनुपालन के अधीन जो आयोग निदेश दे, खुले रहेंगे।

(3) प्रत्येक कार्यवाही के अभिलेखों का, जो गोपनीय या विशेषाधिकार के नहीं हैं, याचिका के पक्षकारों से भिन्न, निरीक्षण ऐसे व्यक्तियों के, ऐसी शर्तों के, जो समय–समय पर आयोग द्वारा निदेशित किये जाएं और जिनमें निरीक्षण के समय, स्थान और रीति तथा फीस के संदाय सम्बन्धी शर्तें भी सम्मिलित हैं, अनुपालन के अधीन रहते हुए या तो कार्यवाही के दौरान अथवा आदेश पारित हो जाने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति, आदेशों, निर्णयों, निदेशों और आयोग द्वारा उनके समर्थन में दिये गये कारणों की प्रतियां लेने का हकदार होगा तथा साथ ही ऐसे अभिवचनों, कागजातों तथा आयोग के अभिलेखों के अन्य हिस्से की,

जिनका वह फीस के संदाय पर और ऐसी अन्य शर्तों के, जिन्हें आयोग निदेशित करे, अनुपालन करने पर, प्रतियां लेने का हकदार होगा,

अध्याय 3—विवादों का निपटारा

23. मध्यस्थता :

(1) आयोग के समक्ष लाये जाने वाले या अन्यथा आयोग की सूचना में आने वाले अनुज्ञापियों एवं उत्पादक कम्पनियों के विवादों का आयोग उनके न्याय निर्णय अथवा मध्यस्थता के लिए ले सकता है।

(2) यदि आयोग विवाद पर न्यायनिर्णयन का विनिश्चय करता है तो वह ऐसे निपुण विशेषज्ञों से सहायता लेना आवश्यक समझे, ले सकता है।

(3) यदि आयोग मामले को मध्यस्थ को सन्दर्भित करने का विनिश्चिय करता है तो ऐसा मध्यस्थता एवं समाधान अधिनियम, 1996 के अनुसार किया जायेगा।

24. मध्यस्थों का मनोनयन :

(1) यदि आयोग यह विनिश्चिय करे कि आयोग से भिन्न व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा मध्यस्थता निर्णय हेतु मामला निर्दिष्ट किया जाये तो सन्दर्भ होगाः

(ए) यदि विवाद के पक्ष मध्यस्थ के नाम पर सहमत हों तो एकल मध्यस्थ को।

(बी) यदि पक्ष आयोग द्वारा नियुक्त किये जाने वाले एकल मात्र मध्यस्थ के नाम पर या तीन व्यक्तियों के नाम पर, जैसा कि आयोग विवाद की प्रकृति और अन्तर्ग्रस्त मूल्य का विचार करके निदेश दें, सहमत होने में असमर्थ है और यदि तीन मध्यस्थों को निर्दिष्ट करने का निर्णय हो तो विवाद के प्रत्येक पक्ष द्वारा एक मध्यस्थ नाम तथा तीसरा आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जायेगा :

परन्तु यदि कोई पक्ष मध्यस्थ का नाम निर्दिष्ट करने में विफल रहे और यदि पक्षों या आयोग द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई मध्यस्थ कार्य करने की उपेक्षा करता है या मध्यस्थ के रूप में बने रहने में विफल रहता है तो आयोग उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नाम निर्दिष्ट करने का हकदार होगा।

(2) आयोग किसी ऐसे व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में मनोनीत नहीं करेगा जिस पर मध्यस्थता हेतु किसी पक्ष द्वारा सम्भावित पक्षपात या इसी प्रकार के ऐसे कारणों के आधार पर युक्तियुक्त आपत्ति करें और आयोग आपत्ति को विधिमान्य व न्यायसंगत समझे।

(3) आयोग के समक्ष लाये गये मामले की मध्यस्थता की कार्यवाही के खर्च एवं शुल्क को ऐसे पक्षों द्वारा एवं ऐसे अनुपात जैसा आयोग निर्दिष्ट करें, द्वारा वहन किया जाएगा।

25. न्यायनिर्णय, निपटारा एवं अधिनिर्णय की प्रक्रिया :

(1) आयोग मामले में न्याय निर्णय का विनिश्चय करता है, तो उसकी कार्यवाही के लिए यथा सम्भव वही प्रक्रिया अपनायी जायेगी, जैसा कि आयोग ने इस विनियम के ऊपर अध्याय–2 में आयोग के समक्ष मामले की सुनवाई के लिए इंगित की है।

अध्याय 4—लाइसेंस

26. लाइसेंस हेतु आवेदन :

(1) उत्तरांचल राज्य के अन्दर विद्युत के व्यवसाय, वितरण या पारेषण या ट्रेडिंग से संबंधित व्यवसाय करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों पर यहां समाविष्ट विनियम लागू होंगे।

(2) किसी लाइसेंस के लिये आवेदन, केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा इन विनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत दिया जायेगा।

(3) आयोग, यदि उचित समझे विद्युत के पारेषण, वितरण या ट्रेडिंग के लिये लाइसेंस स्वीकृति प्रदान करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञापन दे सकता है या अन्यथा ऐसी अन्य समुचित रीति से, जैसा आयोग निर्णय करे, अधिसूचित कर सकता है।

(4) लाइसेंस के लिये प्रत्येक आवेदन पर आवेदक के हस्ताक्षर होंगे तथा इसे सचिव या आयोग द्वारा इस कार्य हेतु पदाभिहित अधिकारी को सम्बोधित किया जायेगा तथा इनके साथ निम्न संलग्न होगा।

(ए) प्रारूप लाइसेंस की छः मुद्रित प्रतियां तथा एक साफ्ट कापी, जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित हो एवं आवेदक तथा इसके अभिकर्ता (यदि कोई हो) का नाम व पता प्रारूप के बाहर अंकित होना चाहिये।

(बी) प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के मानचित्र की, आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित तीन प्रतियां तथा गली व रास्तों में आपूर्ति के विषय में जहां विद्युत आपूर्ति की जानी है नक्शे में इस प्रकार चिन्हित या रंग किया जायेगा जिससे स्थानीय प्राधिकारी के प्रशासनीय नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाला कोई भाग परिभाषित होता हो तथा यह निम्न मापमान पर होगा :

(i) मानचित्र के अध्यादेश पर उपलब्ध सर्वाधिक मापमान से कम पर न हो;

(ii) आयोग द्वारा अनुमोदित ऐसे अन्य मापमान पर।

(सी) प्रसारण या आपूर्ति क्षेत्र के किसी भाग के प्रशासन में निवेशित स्थानीय प्राधिकरणों की सूची।

(डी) किसी भूमि का, जिसे आवेदक लाइसेंस के प्रयोजन के लिये अर्जित करने का प्रस्ताव करता है और ऐसे अर्जन के साधन, ब्यौरा देते हुए अनुमानित विवरण।

(ई) उपयोगिता के सम्बन्ध में व्यय किये जाने वाले प्रस्तावित पूंजी का अनुमानित विवरण और ऐसी अन्य विशिष्टियां जिनकी आयोग अपेक्षा करे।

(एफ) संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद, पिछले तीन वर्षों का वार्षिक लेखा या अन्य इसी प्रकार के दस्तावेजों की, जैसा अपेक्षा की जाए, एक प्रति।

(जी) उपरोक्त विवरणों पर चार्टेड एकाउन्टेन्ट नोट्स और प्रमाणन यदि कोई हों।

(एच) ऐसे प्रसंस्करण शुल्क की जिसकी आयोग अपेक्षा करे, रसीद।

(आई) तकनीकी, पूंजी की पर्याप्तता तथा साख योग्यता सहित आवेदक का विवरण।

(जे) प्रस्तावित क्षेत्र के पारेषण/वितरण के विस्तृत मानचित्र, जिन क्षेत्र में आपूर्ति की जानी है उसके पारेषण/वितरण तंत्र की संरचना को दिखाते हुए विस्तृत मानचित्र/मानचित्र में वर्तमान उपलब्ध तंत्र व्यवस्था और नयी सुविधा जो कि विद्युत पारेषण/वितरण के उद्देश्य से अपेक्षित हो में स्पष्ट अन्तर लक्षित होगा। मानचित्र के उप स्थान वितरण मेन्स, पारेषण/वितरण नेटवर्क, गलियों और सड़कों जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की जानी है और सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत उपभोक्ताओं में अन्तर, इंगित होगा।

(के) स्थानीय प्राधिकरण से सहमति पत्र अथवा सहमति प्राप्ति के लिये अनुरोध पत्र की प्रति।

(एल) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 15(2) (ii) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से सहमति पत्र अथवा सहमति प्राप्ति के लिए अनुरोध पत्र की प्रति।

(5) पारेषण अनुज्ञापी के रूप में कार्य करने का इच्छुक कोई व्यक्ति, आवेदन करने के तुरन्त पश्चात् आवेदन की एक प्रति राज्य पारेषण यूटिलिटी के पास भेजेगा तथा राज्य पारेषण यूटिलिटी आवेदन प्राप्ति की स्वीकृति भेजेगा तथा उपरोक्त आवेदन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी अनुशंसा, यदि कोई हो, आयोग को भेजेगा।

27. मानचित्रों और प्रारूप लाइसेंस की लोक निरीक्षण के लिये प्रतियां :

(1) आवेदक उसके अपने कार्यालय और उसके अभिकर्ता के (यदि कोई हो) और प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जिसमें आपूर्ति के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भाग का प्रशासन विनिहित है, जमा किया जायेगा।

(ए) विनियम 26 के उपविनियम (4)(बी) में निर्दिष्ट मानचित्रों की प्रतियां लोक निरीक्षण के लिये, और,

(बी) प्रारूप लाइसेंस की प्रतियों की पर्याप्त संख्या, उनके लिये आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को फोटो प्रति के खर्च तक के सामान्य मूल्य पर दी जायेगी।

28. प्रारूप लाइसेंस की विषय वस्तु :

(1) प्रारूप लाइसेंस में निम्नलिखित विवरण होंगे:

(ए) प्रस्तावित क्रियाकलापों का द्योतक संक्षिप्त शीर्ष जिसके साथ आवेदक का पता और विवरण हो और यदि आवेदक कम्पनी है तो कम्पनी के सभी निदेशकों का नाम;

(बी) आवेदित लाइसेंस का प्रकार;

(सी) प्रस्तावित सेवा क्षेत्र का स्थान;

(डी) प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण; तथा

(ई) ऐसी अन्य विशिष्टियां, जिन्हें आयोग विनिर्दिष्ट करे।

29. लाइसेंस की शर्तें :

(1) प्रत्येक वर्ग के लाईसेंस की सामान्य शर्तें आयोग द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2) आवेदक को जिन पर लाइसेंस दिया जाना है ऐसी विशेष शर्तें आयोग विनिश्चित कर सकता है।

(3) कोई व्यक्ति जो लाईसेंस के लिये आवेदन करना चाहता है, आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों व अपेक्षाओं का विधिवत् अनुपालन करेगा।

30. प्रारूप लाइसेंस का प्रपत्र :

आयोग समय–समय पर जारी किये जाने वाले लाइसेंसों के प्रपत्र का विवरण दे सकता है। लाइसेंसों को ऐसी भिन्नता के साथ जैसी प्रत्येक मामलों की परिस्थितियों में अपेक्षित हो इस विनियम के प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जा सकेगा।

31. आवेदन की अभिस्वीकृति :

आवेदन के प्राप्त होने पर, प्राप्तकर्ता अधिकारी उस पर उसकी प्राप्ति दिनांक का टिप्पण करेगा तथा प्राप्ति के दिनांक का विवरण देते हुए आवेदक को अभिस्वीकृति भेजेगा।

32. अतिरिक्त सूचना मांगना :

आयोग अथवा सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन के लिये पदाभिहित कोई अधिकारी आवेदन की संवीक्षा करने पर आवेदक से अपेक्षा कर सकता है कि वह निदेशित किये जाने वाले समय के भीतर ऐसी अतिरिक्त सूचना या विशिष्टियां या दस्तावेज जिन्हें आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से आवश्यक समझा जाये, दें।

33. आवेदन के सम्यक् दाखिल करने को अधिसूचित करना :

यदि आयोग को पूर्ण पाये और अपेक्षित सूचना, विशिष्टियां और दस्तावेज उसके साथ हों और आवेदक ने आवेदन करने की और सूचना, विशिष्टियां और दस्तावेजों को देने की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया हो, तो आयोग अथवा सचिव यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन प्रचलित कानून के अनुसार लाइसेंस की स्वीकृति पर विचार किये जाने के लिये तैयार है।

34. आवेदन का विज्ञापन तथा उसकी विषय वस्तु :

(1) जब तक कि लागू होने वाले कानून/आयोग द्वारा छूट न दी जाये, आवेदक, आवेदन की स्वीकृति से सात दिन के अन्दर अपने आवेदन की सूचना को सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा प्रकाशित करेगा तथा उस विज्ञापन में, इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्दिष्ट विवरण होंगे।

(2) विज्ञापन का प्रारम्भ संक्षिप्त शीर्ष से हो जो प्रारूप लाइसेंस के प्रारम्भ मे दिये गये शीर्ष से मिलता हो और उसमें उन कार्यालयों के पते होंगे जिनमें निर्दिष्ट प्रारूप लाइसेंस, मानचित्रों तथा दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सके और प्रारूप लाइसेंस की प्रतियों का परिशीलन या क्रय किया जा सके तथा यह भी विवरण होगा कि प्रत्येक स्थानीय अधिकारी, यूटिलिटी या व्यक्ति जो आवेदन के संदर्भ में आयोग को कोई प्रतिवेदन/आपत्ति देने का इच्छुक हो, सचिव को या आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी को सम्बोधित करते हुए, सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 (तीस) दिन के अन्दर पत्र भेज सकता है।

(3) आयोग यह निदेश दे सकता है कि आवेदन के नोटिस की केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति या निकाय पर जिसे आयोग ऐसी अन्य प्रक्रिया से जैसा आयोग समुचित समझे, तामील की जाये आगे किसी छावनी या उसके किसी भाग, विमानपत्तन, दुर्ग, शस्त्रागार, डाकयार्ड, कैम्प या अन्य कोई भवन या स्थान जो सैन्य उद्देश्य से सरकार के अधीन हों सहित किसी क्षेत्र के लाइसेंस के आवेदन हेतु आयोग यह सुनिश्चित करने के पश्चात् ही लाइसेंस जारी करेगा कि केन्द्रीय सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

35. प्रारूप लाइसेंस का संशोधन :

कोई व्यक्ति, जो प्रारूप लाइसेंस में किसी संशोधन को कराने की इच्छा रखता है आवेदक को तथा सचिव या ऐसे अधिकारी को जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करें, समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा आवेदन की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिन के अन्दर, संशोधन का विवरण पहुंचायेगा।

36. आपत्तियां :

(1) लाइसेंस की स्वीकृति पर आपत्ति करने का इरादा करने वाला कोई व्यक्ति, समाचार पत्र में आवेदन की सूचना के प्रकाशन से तीस दिन के अन्दर आपत्ति दाखिल करेगा। आपत्ति उत्तर के रूप में दाखिल की जायेगी तथा उत्तर के सम्बन्ध में अध्याय 2 के प्रावधान, ऐसी आपत्तियों के दाखिल करने पर लागू होंगे।

(2) जब लागू हों, तो लाइसेंस की स्वीकृति के लिये आयोग के समक्ष सुनवाई हेतु आवेदन रखे जाने के पूर्व आवेदक केन्द्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिये आवेदन करेगा और प्राप्त करेगा।

37. स्थानीय जाँच तथा सुनवाई :

(1) यदि आवेदक ने आशायित आवेदन के नोटिस के प्रकाशन के सम्यक् व्यवस्था कर ली है और आपत्ति दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है और यदि आवेदक ने केन्द्र सरकार से अपेक्षित अनापत्ति प्रमाण–पत्र, यदि कोई हो, आयोग को दिया हो तो आयोग आवेदन की नियमित सुनवाई के लिये कार्यवाही कर सकता है।

(2) आयोग जाँच की नोटिस या आवेदन की सुनवाई की नोटिस, उन व्यक्तियों, जिन्होंने आपत्तियाँ दाखिल की थीं, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरण, व्यक्ति या निकाय को जिन्हें आयोग समुचित समझे, देगा।

(3) आयोग लाइसेंस प्रदान करने के सम्बन्ध में, राज्य पारेषण युटिलिटी की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति आवेदित लाइसेंस की स्वीकृति पर आपत्ति करता है, तो आयोग, यदि या आवेदक या आपत्तिकर्ता ऐसी इच्छा करें, स्थानीय जाँच करवा सकता है जिसकी नोटिस लिखित में आवेदक और आपत्तिकर्ता दोनों को दी जायेगी।

परन्तु आयोग ऐसी जाँच को नामंजूर कर सकता है यदि उसकी राय में, आपत्तियाँ तुच्छ श्रेणी की हैं या तंग करने के इरादे की हैं।

(5) ऐसी स्थानीय जाँचों के विषय में, स्थानीय जाँच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जायेगा तथा आवेदक तथा इस उद्देश्य हेतु पदाभिहित अधिकारी या व्यक्ति एवं अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग निदेशित करें, इस पर हस्ताक्षर करेंगे।

(6) इसके बाद लाइसेंस की स्वीकृति हेतु आवेदन पर सुनवाई यथासंभव उसी तरीके से की जायेगी, जैसी कि अध्याय 2 में दी गई है।

38. प्रारूप लाइसेंस का अनुमोदन :

(1) जाँच, यदि कोई हो, तथा सुनवाई के पश्चात् आयोग, लाइसेंस को स्वीकृत या इन्कार करने का विनिश्चिय कर सकता है और यदि वह लाइसेंस को स्वीकार करने का विनिश्चय करता है तो वह प्रारूप लाइसेंस को ऐसे उपान्तर, परिवर्तन या परिवर्धन अनुमोदित करते हुए और ऐसे अन्य निबन्धन और शर्तों के अधीन, जैसा आयोग निदेश दे, वैसा कर सकता है।

(2) जब आयोग ने प्रारूप लाइसेंस को चाहे उसके मूलरूप में या संशोधित रूप में अनुमोदित कर दिया हो तो इस निमित्त आयोग द्वारा पदाभिहित अधिकारी आवेदक को ऐसे अनुमोदन और उसके रूप जिसमें लाइसेंस स्वीकृत करने का प्रस्ताव है और आवेदक द्वारा समाधान की जाने वाल शर्तों को, जिसके अन्तर्गत लाइसेंस की स्वीकृति के लिये भुगतान की जाने वाली फीस भी है, सूचित करेगा।

(3) लाइसेंस प्रदान करने के पहले आयोग, ऐसे दो दैनिक समाचार पत्रों जिन्हें वह आवश्यक समझे, जिन्हें वह लाइसेंस प्रदान करने का आशय रखता है, ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते का विवरण देते हुए सूचना प्रकाशित करेगा।

(4) आयोग, लाइसेंस जारी करने के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण तथा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे आवश्यक समझे, लाइसेंस की एक प्रति प्रेषित करेगा।

39. स्वीकृत लाइसेंस की अधिसूचना :

आवेदक से लिखित में सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित प्रारूप में लाइसेंस स्वीकार करने के लिये इच्छुक है और लाइसेंस की स्वीकृति के लिये विनिर्दिष्ट शर्तों का समाधान आवेदक द्वारा हो जाने के पश्चात् आयोग, लाइसेंस या उसके ऐसे भाग या सार को, जैसा आयोग समुचित समझे, प्रकाशित करेगा।

40. लाइसेंस के प्रारम्भ की तिथि तथा अवधि :

लाइसेंस उस तिथि से प्रारम्भ होगा जिस तिथि से लाइसेंस का प्रारम्भ आयोग निदेशित करे तथा यह पच्चीस वर्ष के लिये विधिमान्य होगा जब तक कि ऐसे लाइसेंस को निरस्त न किया जाये।

41. मानचित्रों का जमा किया जाना :

जब लाइसेंस स्वीकृत कर दिया गया हो तब ऐसे लाइसेंस के सम्बन्ध में, विनियम 26 के उपविनियम (4)(बी) में विनिर्दिष्ट विवरणों को प्रदर्शित करते हुए मानचित्रों की तीन प्रतियों को सचिव द्वारा या आयोग द्वारा इस निमित्त पदाभिहित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा, लाइसेंस की स्वीकृति की अधिसूचना की तिथि के अनुरूप तिथि अंकित की जायेगी। ऐसे मानचित्रों की एक प्रति उक्त अधिकारी द्वारा जमा किये मानचित्रों के रूप में रख ली जायेगी तथा अन्य दो प्रतियां लाइसेंसधारी को दे दी जायेंगी।

42. मुद्रित प्रतियों का जमा किया जाना :

(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसे लाइसेंस स्वीकृत किया जाये, उसकी स्वीकृति से तीस दिन के भीतर :—

(ए) लाइसेंस की प्रतियों की पर्याप्त संख्या मुद्रित करायेगा।

(बी) मानचित्रों की पर्याप्त संख्या जिसमें लाइसेंस में विनिर्दिष्ट आपूर्ति क्षेत्र प्रदर्शित हो तैयार करायेगा।

(सी) सभी समुचित समयों पर ऐसे लाइसेंस एवं मानचित्रों की प्रति लोक निरीक्षण हेतु अपने मुख्य कार्यालय अपने स्थानीय कार्यालय, (यदि कोई है) तथा आपूर्ति क्षेत्र के अन्दर स्थानीय प्राधिकरण के प्रत्येक कार्यालय में रखने की व्यवस्था करेगा।

(2) ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी, तीस दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर लाइसेंस की एक प्रति आपूर्ति क्षेत्र के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को निःशुल्क देगा और लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों की उन व्यक्तियो के लिये, जो उसके लिये आवेदन करें, ऐसे मूल्य पर जो प्रति फोटोकापी के सामान्य कीमत से अधिक न हो, विक्रय के लिये आवश्यक व्यवस्था भी करेगा।

43. लेखों की तैयारी तथा प्रस्तुतिकरण :

(1) प्रत्येक लाइसेंसधारी अपनी युटिलिटी के लेखों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक तैयार करवायेगा।

(2) ऐसा लाइसेंसधारी, अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपने लेखों का वार्षिक विवरण उपर्युक्त तिथि से छः मास की अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर, जैसा आयोग यह समाधान हो जाने पर कि अनुज्ञात समय लाइसेंसधारी के नियंत्रण के बाहर किसी कारण से, अपर्याप्त है, तैयार करायेगा तथा प्रस्तुत करेगा और विवरण की प्रतियाँ उतनी संख्या में दी जायेंगी जितनी आयोग निर्देश दे।

(3) लेखों को ऐसे प्रारूपों में तैयार किया जायेगा जैसा आयोग समय समय पर निर्देश दे। सभी प्रारूपों पर, लाइसेंसधारी द्वारा या उसके प्रत्यापित तथा सम्यक् प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे।

(4) आयोग, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि उपरोक्त उपविनियम (3) में विहित प्रारूपों में लेखों के वार्षिक विवरणों के प्रस्तुतिकरण के अतिरिक्त, लाइसेंसधारी आयोग को या ऐसे अन्य अधिकारी को जिसे आयोग इस निमित्त पदाभिहित करे, ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करेगा, जैसी आयोग को इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो।

44. आपूर्ति की आदर्श शर्तें :

(1) आयोग, अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति के लिए अपनायी तथा अनुपालन की जाने वाली आदर्श शर्तों को ऐसे परिवर्तनों के साथ जैसा आयोग निर्देश दे, उल्लेखित करेगा।

(2) अनुज्ञापी सदा अपने कार्यालय में, समय–समय पर संशोधित विद्युत आपूर्ति कोड की मुद्रित प्रतियाँ पर्याप्त मात्रा में रखेगा तथा मांगने पर किसी आवेदक को जो सामान्य फोटोकापी की कीमत से अधिक न हो, ऐसे मूल्य पर विक्रय करेगा तथा दस्तावेज का समुचित प्रचार करने हेतु कार्यवाही करेगा।

45. लाइसेंस का उल्लघंन :

(1) आयोग प्रचलित कानून या उसके अन्तर्गत बनाये नियम अथवा विनियम के किन्हीं प्रावधानों के नियम या शर्तों के लाईसेंसी द्वारा उल्लघंन या संभावित उल्लघंन के लिये, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95, 128, 129, 130, 142 तथा 185(3) के साथ पठित राज्य अधिनियम की धारा 26 से 28 के अनुसार जैसा आयोग उचित समझे वैसा आदेश पारित कर सकता है।

(2) विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 95, 128, 129, 130, 142 तथा 185(3) के साथ पठित राज्य अधिनियम की धारा 26 से 28 के प्रावधानों के अधीन तथा उनमें उल्लिखित प्रक्रिया के आधार पर आयोग अनुज्ञापी द्वारा किसी उल्लघंन या संभावित उल्लघंन से उपजी कार्यवाही से निपटने में, इन विनियमों के अध्याय 2 में निदेशित सामान्य कार्यवाही का यथासंभव अनुकरण करेगा।

46. वितरण लाइसेंस की समझी गयी स्वीकृति :

(1) आयोग द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने तक, उत्तरांचल राज्य में विद्युत आपूर्ति में लगे हुए निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों द्वारा उपविनियम (2) में समाविष्ट शर्तों के पूरा होने पर यहां समाविष्ट उद्देश्य हेतु वितरण श्रेणी के लाइसेंस हेतु आवेदन किया तथा स्वीकृत किया समझा जायेगा :

(ए) वे व्यक्ति जो स्वयं विद्युत उत्पादन कर आपूर्ति करते हैं या और अधिकतम दो माह तक के किसी कार्यक्रम या आयोजन के उद्देश्य से उनके किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा आपूर्ति की जाती है तथा वे जब अपने स्वामित्व वाली प्रणाली के द्वारा विद्युत का वितरण करते हों।

(बी) वे व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के द्वारा अधिग्रहित ऐसी कालोनियों के अनुरक्षण की गतिविधि के अंश के रूप में उपयोग होने वाली विद्युत आपूर्ति करते हैं तथा/या करने वाले व्यक्ति और कर्मचारियों की सेवाएं तथा सुविधायें प्रदान करने के लिए उपभोग करने वाले व्यक्ति और जहां ऐसा व्यक्ति किसी अनुज्ञापी से या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से विद्युत क्रय करता है तथा आवासीय कालोनियों के अन्दर बिना लाभ के उद्देश्य के आधार पर विद्युत वितरण करता है।

(सी) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग समय–समय पर आदेश द्वारा, ऐसी शर्तों व नियमों के अधीन जो आयोग निदेशित करे, अधिसूचित करता है।

(2) उपविनियम (1) के अन्तर्गत अनुज्ञापी :

(ए) अपने कामकाज के क्षेत्र से बाहर विद्युत आपूर्ति या वितरण या विद्युत [illegible] सीधे या परोक्ष रूप से नहीं करेगा तथा ऊपर निर्दिष्ट उपखण्ड (1) के उद्देश्य के [illegible] प्रतिबन्ध अपनाये रखेगा।

(बी) विद्युत लाईन के कार्य को अपने कामकाज के क्षेत्र में ही स्थापित करेगा।

(सी) यदि ऐसा अपेक्षित हो तो जैसा आयोग समय–समय पर निदेशित करे आयोग को अपने कार्यों के निर्वाह करने के उद्देश्य हेतु अपेक्षित ऐसी सूचना आयोग को उपलब्ध करायेगा।

(डी) केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम, आयोग के विनियम, तकनीकी कोड जैसे ग्रिड कोड़, वितरण कोड, प्रदर्शन के स्तर तथा सम्पूर्ण प्रदर्शन स्तर या आयोग द्वारा जारी किन्हीं अन्य मार्गदर्शकों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

(ई) कार्य संचालन की सुरक्षा तथा बचाव से सम्बन्धित लागू सभी नियमों व विनियमों का अनुपालन करेगा।

(एफ) अनुज्ञापी द्वारा आसपास के आपूर्ति क्षेत्र में आपूर्ति की गई विद्युत के प्रचलित प्रभार को ध्यान में रखकर उपभोक्ताओं पर ऐसे व्यक्ति जो प्रभार लगा सकते हैं उनके सम्बन्ध में आयोग द्वारा समय–समय पर जारी किये जा सकने वाले निर्देशों का अनुपालन करेगा।

(3) आयोग जैसे आवश्यक समझे, समय–समय पर वैसे समुचित निर्देश जारी करने तथा अनुपालन न करने या व्यतिक्रम पर केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार विनियम 46 के अन्तर्गत किसी अनुज्ञापी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का हकदार होगा।

(4) आयोग, किसी भी चरण पर, यदि वह आवश्यक समझें, उपविनियम 46 के अन्तर्गत अनुज्ञापी को लाइसेंस हेतु आवेदन करने के लिये निदेश दे सकता हैं तथा लाइसेंस हेतु स्वीकृति या अस्वीकृति दे सकता है तथा अन्तरिम या अन्तिम आदेश द्वारा संचालन के क्षेत्र या उसके किसी भाग में विद्युत आपूर्ति या वितरण रोकने को ऐसे अनुज्ञापी को निर्देश दे सकता है।

(5) यदि कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है कि कोई व्यक्ति उपविनियम 46 के अन्तर्गत, अनुज्ञापी के रूप में विद्युत आपूर्ति करने का हकदार है, तो इस पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

47. लाइसेंस से छूट की स्वीकृति :

लाइसेंस से छूट की स्वीकृति लागू होने वाले कानून के प्रावधानों से सुसंगत प्रक्रिया से प्रदान की जायेगी।

48. लाइसेंस का प्रतिसंहरण :

(1) लाइसेंस के प्रतिसंहरण या केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 में विनिर्दिष्ट किसी अन्य आदेश को पारित करने की कार्यवाही आयोग द्वारा पारित आदेश के द्वारा प्रारम्भ की जायेगी जिसे आयोग स्वःप्रेरणा से या अनुज्ञापी के आवेदन पर या किसी शिकायत के प्राप्त होने पर या किसी व्यक्ति से सूचना प्राप्त होने पर प्रारम्भ कर सकता है।

(2) प्रतिसंहरण की प्रक्रिया तथा रीति, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों से सुसंगत होंगे।

(3) केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों तथा उनमें समाविष्ट प्रक्रिया के अधीन जहाँ तक यह लागू हो, लाइसेंस के प्रतिसंहरण पर आयोग द्वारा जाँच उसी रीति से होगी जैसी विनियम के अध्याय 2 में दी गयी है।

(4) अपने लाइसेंस के प्रतिसंहरण हेतु अथवा आंशिक प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करने या सहमति की इच्छा रखने वाले अनुज्ञापी को आयोग के समक्ष आवेदन करना चाहिये। आयोग अनुज्ञापी एवं ऐसे अन्य व्यक्तियों की जिन्हें वह उचित समझे सुनवायी करने के पश्चात् ऐसे आवेदनों पर आदेश पारित करेगा। आयोग द्वारा ऐसे आवेदनों पर अपनायी गई प्रक्रिया जहाँ तक संभव हो, इस विनियम के अध्याय 2 में वर्णित प्रक्रिया के अनुरूप होगी।

49. स्वीकृत लाइसेंस का संशोधन :

(1) स्वीकृत लाइसेंस का संशोधन, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 18 में दिये गये प्रारूप तथा रीति अनुसार होगा। जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये, लाइसेंस की स्वीकृति के लिये इस विनियम में निदेशित प्रक्रिया का जहाँ तक उसे लागू किया जा सके, लाइसेंस के संशोधन या परिवर्तन के आवेदन पर कार्यवाही करते हुए अनुसरण किया जायेगा।

(2) लाइसेंस के संशोधन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का विवरण संलग्न होगा तथा विनियमावली के अध्याय 2 में दिये गये अनुसार शपथ–पत्र द्वारा समर्थित होगा।

(3) जब तक आयोग द्वारा लिखित में अन्यथा निदेशित न किया जाये, लाइसेंस में संशोधन या परिवर्तन के प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसी शुल्क की रसीद, जैसा आयोग की अपेक्षा हो, होगी। जिसका भुगतान आयोग द्वारा निदेशित तरीके से किया गया हो।

(4) आवेदक के लाइसेंस संशोधन हेतु आवेदन को स्वीकृति एवं संख्यांकित करने की तिथि से सात दिन के अन्दर, दायर संशोधन आवेदन की सूचना प्रस्तावित संशोधन के संक्षिप्त विवरण सहित, प्रस्तावित संशोधन का स्वीकृत लाइसेंस के अधीन अनुज्ञापी के कार्यों के निर्वहन पर प्रभाव, ऐसे कार्यों के निर्वहन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तथा आयोग द्वारा निदेशित ऐसे अन्य विवरण देते हुए प्रकाशित करेगा। प्रकाशक उन कार्यालयों का पता देगा जहाँ संशोधन हेतु आवेदन का निरीक्षण किया जा सके व दस्तावेज की प्रतियां क्रय की जा सकें तथा यह बतायेगा कि प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, युटिलिटी या व्यक्ति आयोग को आवेदन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन करने के इच्छुक, प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर, आयोग द्वारा इस प्रयोजन के निमित्त अधिकारी को सम्बोधित करते हुए पत्र द्वारा ऐसा कर सकते हैं।

50. वितरण लाइसेंस का निलम्बन :

यदि किसी समय, आयोग की यह राय हो कि लोक हित में यह आवश्यक है तो कारणों को लिखित रूप में अभिलेखित कर केन्द्रीय अधिनियम की धारा 24 में दिये गये प्रारूप तथा रीति से; ऐसी परिस्थितियों में वितरण अनुज्ञापी का लाइसेंस निलम्बित कर सकता है।

51. अनुज्ञापी के ऊर्जा क्रय का विनियमन :

(1) अनुज्ञापी उसके द्वारा पहले से किये गये सभी ऊर्जा क्रय अनुबन्धों की प्रतियां पूर्ण रूप से आयोग के पास दाखिल करेगा।

(2) आयोग यह निदेशित करने का अधिकारी होगा कि अनुज्ञापी आयोग की सन्तुष्टि के अनुसार सिद्ध करेंगे कि अनुज्ञापियों द्वारा ऊर्जा का क्रय पारदर्शी ऊर्जा क्रय अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अधीन है तथा मितव्ययी है तथा ऊर्जा अनुज्ञापी को उसकी सेवा बाध्यता पूरा करने के लिये आवश्यक है।

(3) अनुज्ञापी किसी ऊर्जा क्रय अनुबंध के, जिसे अनुज्ञापी करने का प्रस्ताव करता है, के प्रारूप को अनुमोदित करने के लिये आयोग को आवेदन करेगा। आयोग निम्नलिखित आदेश पारित कर सकता है:

(ए) अनुबन्ध को अनुमोदित करने, या

(बी) अनुबन्ध के निबन्धनों में प्रस्तावित उपान्तरों के साथ अनुबन्ध को अनुमोदित करने, या

(सी) अनुबन्ध को निरस्त करने का।

(4) इसमें अन्तर्विष्ट कुछ भी, आयोग द्वारा अनुमोदित या सम्मति प्राप्त व्यवस्था व सहमति के नियम व शर्तों के अनुसार विद्युत क्रय या ऊर्जा अधिप्राप्ति की व्यवस्थाओं की सहमतियाँ अनुज्ञापी की अन्य जिन व्यक्तियों के साथ हैं, उनसे विद्युत व्यवसायी, उत्पादक कम्पनियों से, क्रय की व्यवस्था विद्युत का अर्जन या आयात, वर्तमान संविदा के अन्तर्गत वितरण अनुज्ञापी की बाध्यताओं को प्रभावित नहीं करेगा।

(5) ऊपर खण्ड (2) या (3) के प्रावधान या उन पर की गयी किसी कार्यवाही का किसी भी प्रकार से, लागू कानून के किसी अन्य उपबन्ध, विनियम और समय समय पर जारी किये जाने वाले आदेशों के अधीन आयोग के कृत्या और शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

52. प्रदर्शन के स्तर :

आयोग, अनुज्ञापी तथा संभावित प्रभावित व्यक्तियों से परामर्श के पश्चात् किसी अनुज्ञापी या अनुज्ञापियों की श्रेणी हेतु स्तर विनिर्दिष्ट कर सकता है जो उसकी राय में मितव्ययी हो तथा अनुज्ञापियों द्वारा प्राप्त किये जाने चाहिये तथा भिन्न अनुज्ञापियों के लिये भिन्न स्तर निर्धारित किये जा सकते हैं। आयोग इस प्रकार निर्धारित स्तरों को इस रीति तथा उस प्रारूप में प्रकाशित कर सकता है जिनमें वह उचित समझे।

अध्याय 5—निवेश के अनुमोदन

53. आयोग द्वारा निवेश के अनुमोदन हेतु अपेक्षाएं :

(1) जब तक कि आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न हो, प्रत्येक अनुज्ञापी, अनुज्ञप्ति के कारोबार में निवेश करने के लिये आयोग से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करेगा, यदि ऐसा निदेश, अनुज्ञप्ति की शर्तों में रखी गयी शर्तों की सीमा से अधिक हो।

(2) अनुज्ञप्ति की शर्तों में रखी सीमा, आयोग द्वारा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय–समय पर उपान्तरित की जा सकती हैं।

(3) निवेश की स्वीकृति के आवेदन में, अनुज्ञापी, निम्नलिखित सूचना या विवरण प्रदान करेगा :

(ए) एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें आर्थिक–तकनीकि प्रणाली की परीक्षा तथा निवेश के पर्यावर्णीय पहलू के साथ, लिये गये कार्य की रूपरेखा निवेश की आवश्यकता प्रदर्शित करते हुए विवरण तथा प्रमुख तंत्र अन्तर्विष्ट होंगे।

(बी) परियोजना लागत के साथ लागत लाभ विश्लेषण।

(सी) क्या निवेश किसी नयी परियोजना में है या वर्तमान प्रणाली के प्रसार या उच्चीकरण हेतु है ?

(डी) परियोजना के निष्पादन हेतु अपेक्षित मंजूरी तथा कानूनी निर्बाधन तथा ऐसी मंजूरी व कानूनी निर्बाधन की अवस्था।

(ई) वित्तीय वर्ष में निवेश की क्रमबद्धता तथा स्थापना की सारिणी।

(एफ) अनुज्ञापी की राजस्व अपेक्षाओं में शामिल करने के उद्देश्य हेतु निवेश के पूंजीकरण की रीति।

(जी) परियोजना को लागू करने या निवेश करने में अनुज्ञापी के समक्ष आने वाली बाध्यतायें, उपलब्ध सूचनाओं पर बाध्यताओं सहित।

(एच) निवेश पूर्ति हेतु संसाधनों का संचालन तथा वित्तीय योजनाएं।

(आई) आयोग द्वारा अनुमोदित पारदर्शी संविदा प्रक्रिया के अनुरूप निवेश से सम्बन्धित सामग्री या/और सेवाओं, उपकरणों की अधिप्राप्ति हेतु संविदा के निष्पादन तथा आमन्त्रण हेतु प्रक्रिया।

(जे) ऐसे अन्य विवरण जो आयोग समय–समय पर निदेशित करे।

54. आयोग द्वारा कार्यवाहियाँ :

(1) आयोग अपने विवेकानुसार ऐसी जाँच तथा परामर्श कर सकता है जैसी वह अनुज्ञापी द्वारा निवेश किये जाने हेतु स्वीकृति के लिए आवेदन पर कार्यवाही करते समय उचित समझे।

(2) आयोग अपने विवेकानुसार कोई कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है अथवा दर के निर्धारण के लिये कार्यवाही के भाग के रूप में निवेश स्वीकृति हेतु आवेदन पर, जैसा आयोग उचित समझे ऐसी अन्य कार्यवाहियों सहित, विचार कर सकता है।

(3) आयोग, परामर्शदाता, विशेषज्ञ तथा अन्य जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त करने के लिए हकदार होगा तथा आयोग द्वारा निदेशित शुल्क के साथ नत्थी निवेश हेतु स्वीकृति के आवेदन पर आयोग द्वारा विचार से पूर्व आयोग के स्टाफ को परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों को अनुज्ञापियों से विचार विमर्श करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

55. अतिरिक्त सूचना :

(1) अनुज्ञापी तथा अन्य आवेदक जो निवेश की स्वीकृति चाहते हैं, सूचना, विवरण, दस्तावेज जैसे कि आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए नियुक्त आयोग के स्टाफ, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों द्वारा अपेक्षित हो तथा उन्हें अनुज्ञापी की अभिरक्षा या अधिकार, शक्ति के अधीन दस्तावेजों तथा अभिलेखों को सुलभ कराने की अनुमति देगा।

(2) अनुज्ञापी आयोग के स्टाफ, परामर्शदाताओं तथा विशेषज्ञों को उनके कार्य के निर्वाह में तथा उनके निष्कर्षों की रिपोर्ट आयोग को प्रस्तुत करने में सहयोग देगा।

अध्याय 6–दरें

56. उत्पादक कम्पनियों तथा अनुज्ञापियों द्वारा फाइल करना :

(1) आयोग, अनुज्ञापी व उत्पादक कम्पनियों के राजस्व दरों, के निर्धारण के नियम व शर्तें, लागू कानून के प्रावधानों के अनुसार विनिर्दिष्ट करेगा।

(2) प्रभार से प्रत्याशित राजस्व की गणना करने और दर का अवधारण करने की प्रणाली और प्रक्रिया, समय–समय पर आयोग द्वारा प्रावधानित की जा सकती है। आयोग किसी समय प्रणाली और प्रक्रिया में, जैसा वह उचित समझे, वृद्धि संशोधन, परिवर्तन, पुनरीक्षण, प्रतिस्थापन या अन्यथा परिवर्तन कर सकता है।

(3) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाये, अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी के राजस्व तथा दर के अवधारण के निबन्धन और शर्तों में निम्नलिखित होगा:

कि केन्द्रीय अधिनियम की धारा 62 के अन्तर्गत किसी वित्तीय वर्ष में अनुमत दर तथा अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी के राजस्व पश्चात्वर्ती अवधि के लिये निर्धारित किये जाने वाली किसी दर में समायोजन के अधीन होगा। यदि आयोग का लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से समाधान हो जाये कि वास्तव में वसूल की गयी अधिक धनराशि या धनराशि में कमी ऐसे समायोजन के लिये आवश्यक है और आयोग का अग्रतर समाधान हो जाये कि वह अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी के किसी दोष या विफलता के कारण नहीं है।

(4) लागू कानून के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक वर्ष, 30 नवम्बर या उससे पहले अथवा जैसा आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित हो, अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी, आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये जारी प्रक्रिया तथा मार्गदर्शन के प्रारूप के अनुसार सेवा प्रदान करने की वर्तमान में स्वीकृत दर तथा संभावित मूल्य के अधीन संभावित कुल राजस्व हेतु प्रभार की आगामी वर्ष हेतु गणना करते हुए विवरण आयोग के समक्ष फाइल करेंगे।

(5) ऊपर उपखण्ड (4) में संदर्भित विवरण, अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी के अलग–अलग व्यवसायों में प्रत्येक के लिये अलग–अलग रूप से दिये जायेंगे तथा प्रत्येक व्यवसाय के लिये आयोग द्वारा निदेशित रीति से दिये जायेंगे।

(6) उपर्युक्त के होते हुए भी अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी आयोग को ऐसी अतिरिक्त सूचना, विशिष्टियां तथा दस्तावेज जिन्हें आयोग समय–समय पर राजस्व की गणना तथा दर प्रस्तावों का उस प्रारूप में जिसे आयोग द्वारा निदेशित किया जाये, दाखिल करने के पूर्व या पश्चात् अपेक्षा करें, आयोग को तुरन्त प्रस्तुत करेगा।

(7) आयोग राजस्व की गणना तथा दर प्रस्तावों के विवरण को दाखिल करने के लिये दिशानिर्देश जारी करेगा तथा जब तक आयोग द्वारा उन्हें अस्थगित न कर दिया जाये, अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी आयोग द्वारा जारी किये गये ऐसे दिशानिर्देशों का अनुकरण करेगा।

57. दर प्रस्तावों का प्रकाशन तथा आपत्तियों पर सुनवाई :

(1) अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी अपने दर प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण के तीन दिन के भीतर आपूर्ति/उत्पादन क्षेत्र के व्यापक प्रसार वाले कम से कम दो समाचार पत्रों में नोटिस प्रकाशित करेगा जिसमें प्रस्तावित दर की रूपरेखा और हितबद्ध व्यक्तियों और राज्य सरकार से आपत्तियाँ आमंत्रित की जायेंगी।

(2) जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निदेशित न किया जाये, आयोग, अनुज्ञापी, उत्पादक कम्पनी द्वारा दी गयी राजस्व गणना और दर प्रस्तावों पर कार्यवाही आयोजित करेगा तथा वह ऐसे व्यक्तियों को सुन सकता है जिन्हें वह ऐसी राजस्व गणना और दर प्रस्तावों पर विनिश्चिय करने के लिये समुचित समझे।

(3) अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी के दर प्रस्तावों तथा राजस्व गणना पर सुनवाई, यथासंभव, इस विनियम के अध्याय 2 में दिये गये तरीके से की जायेगी।

58. आयोग का आदेश :

(1) आयोग द्वारा अपेक्षित पूर्ण सूचना अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी द्वारा देने तथा आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा जैसी आयोग उचित समझे ऐसी जाँच करने के पश्चात् आयोग आदेश जारी करेगा तथा आवेदक को राजस्व गणनाओं व दर प्रस्तावों पर अपने निर्णय से अधिसूचित करेगा।

(2) उपर्युक्त उपखण्ड (1) के अधीन आदेश पारित करते समय या उसके पश्चात् कभी, अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी द्वारा प्रभारी दरें आयोग अधिसूचित कर सकता है।

(3) आयोग, आदेश के सात दिन के अन्दर, राज्य सरकार, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारी तथा सम्बन्धित अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनियों तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को आदेश की प्रति प्रेषित करेगा।

59. दर का प्रकाशन :

(1) अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी, आयोग द्वारा अनुमोदित दर या दरों की राज्य में प्रसारित समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा तथा यदि आवश्यक हो आयोग उन्हें स्टेकहोल्डर्स की सूचनार्थ भी प्रचारित कर सकता है। प्रकाशन में अन्य बातों के अलावा जिनकी आयोग अपेक्षा करे, दर संशोधन का सामान्य विवरण और उपभोक्ताओं के वर्गों पर पड़ने वाला उसका प्रभाव सम्मिलित होगा।

60. दर में संशोधन :

(1) अवधारित दर, एक वित्तीय वर्ष में एक बार से अधिक संशोधित या परिवर्तित नहीं की जायेगी, सिवाय इसके कि आयोग द्वारा यथा उपबन्धित किसी ईंधन अधिशुल्क सूत्र की शर्तों के अधीन कोई परिवर्तन स्पष्टतया अनुमन्य हों।

(2) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 62 की उपधारा (4) के अनुसार दर में संशोधन के सभी आवेदन, आयोग द्वारा समय–समय पर निदेशित प्रारूप के अनुसार किया जायेगा तथा जहाँ तक वे प्रयोज्य हों दरों के संशोधन हेतु कार्यवाही में लागू होंगे।

61. भिन्नक दरें तथा अन्योन्य आर्थिक सहायता :

इस विनियम के अन्तर्गत फुटकर दर निर्धारित करते समय आयोग, उपभोक्ता भार तथ्य या ऊर्जा तथ्य या उपयोग का उद्देश्य, वोल्टेज, अवधि या समय के दौरान ऊर्जा का कुल उपभोग जिस दौरान आपूर्ति अपेक्षित हो या क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, आपूर्ति की प्रकृति तथा उद्देश्य जिस के लिये आपूर्ति अपेक्षित हो, के अनुसार भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न भिन्न दर नियत कर सकता है।

62. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता :

(1) राज्य सरकार, किसी भी समय, जब वह उचित समझे, आयोग द्वारा निर्धारित दर में, किसी उपभोक्ता या उपभोक्ताओं के वर्ग को कोई आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव कर सकती है तथा ऐसा प्रस्ताव प्राप्त होने पर आयोग आर्थिक सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि, आर्थिक सहायता के निर्णय से प्रभावित व्यक्ति को राज्य सरकार द्वारा सहायता के तरीके सहित भुगतान के नियम एवं शर्तों को अवधारित करेगा।

(2) दर अवधारण करते समय आयोग, कोई आर्थिक सहायता जिसे राज्य सरकार उपभोक्ताओं के किसी वर्ग या वर्गों को देने के लिए सहमत हुई हो, को हिसाब में लेगा।

(3) उपर्युक्त में कुछ समाविष्ट होते हुए भी, राज्य सरकार का कोई निदेश प्रभावी नहीं होगा यदि, केन्द्रीय अधिनियम की धारा 65 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता का अग्रिम भुगतान नहीं किया जाता है तथा आयोग द्वारा निर्धारित दर, उसके द्वारा इस संबंध में जारी आदेश की तिथि से लागू होगा।

(4) वितरण अनुज्ञापी को आयोग की संतुष्टि हेतु यह दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे कि वितरण अनुज्ञापी को राज्य सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता की धनराशि विधिवत् लेखित की गयी है तथा उसी उद्देश्य के लिये उपयोग की गयी है जिसके लिये यह दी गयी थी।

अध्याय 7–प्रदर्शन स्तर, कोड्स, आपूर्ति विनियम इत्यादि

63. कोड्स का निरूपण :

(1) आयोग समय–समय पर, राज्य में कार्यरत उत्पादक कम्पनियों तथा अनुज्ञापियों को, राज्य में ऊर्जा प्रणाली तथा विद्युत क्षेत्र के उचित व कुशल संचालन के हेतु, जैसे आयोग उचित समझे, वैसे कोड्स निरूपित करने तथा अपनाने का निर्देश दे सकता है।

(2) आयोग ऐसे परामर्श या कार्यवाहियाँ आयोजित कर सकता है जो आयोग को अनुज्ञापी द्वारा निरूपित कोड्स पर विमर्षित करने हेतु उचित लगें।

(3) आयोग, अनुज्ञापियों तथा उत्पादक कम्पनियों द्वारा निरूपित कोड्स पर आयोग को सलाह देने के लिये विशेषज्ञ तथा परामर्शदाताओं की नियुक्ति कर सकता है।

(4) आयोग ऐसे परिवर्तन निदेशित कर सकता है जिन्हें वह ऐसे निरूपित कोड्स हेतु उचित समझें।

(5) अनुज्ञापी तथा उत्पादक कम्पनियाँ, समय समय पर आयोग द्वारा दिये निदेश तथा आदेश से सुसंगत व आयोग द्वारा अनुमोदित कोड्स को लागू करेंगे।

(6) ऊर्जा प्रणाली के संचालन में प्रदर्शन स्तर के प्रवर्तन के संबंध में आयोग की शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, निरूपित व कार्यान्वित कोड्स में निम्न सम्मिलित होंगे :

(ए) ग्रिड कोड

(बी) वितरण कोड

(सी) विद्युत आपूर्ति कोड तथा आपूर्ति की शर्तें

(डी) उपभोक्ताओं से संबंधित कोड, बिलों के भुगतान पर पद्धति के कोड गुण तथा असफलता पर दण्ड अर्थदण्ड, उपभोक्ता अधिकार, विवरण तथा उपभोक्ता शिकायतों से निपटने की प्रक्रिया

(ई) क्षेत्र व सुरक्षा कोड

(एफ) पारेषण प्रणाली योजना तथा सुरक्षा स्तर,

(जी) वितरण प्रणाली योजना तथा सुरक्षा स्तर

(एच) संचालन स्तर तथा

(आई) विद्युत के उपयोग के कोड तथा मांग की ओर का प्रबंधन।

(7) अनुज्ञापी तथा उत्पादक कम्पनियाँ, इस विनियम के अनुसार कोड्स, स्तर तथा आपूर्ति की शर्तें निरूपित व कार्यान्वित होने तक वर्तमान स्तर, कोड्स व आपूर्ति की शर्तें अपनायेंगे।

अध्याय 8–अन्वेषण, जाँच, जानकारी का एकत्रंण आदि

64. जानकारी का एकत्रंण :

(1) आयोग निम्नलिखित के सम्बन्ध में जानकारी का एकत्रीकरण, जिन्हें वह केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रयोज्य प्रावधानों के अनुसार अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे आदेश दे सकता है जिन्हें वह ठीक समझे :

(ए) आयोग, किसी अधिकारी को, आयोग की ओर से, किसी भवन या स्थान में प्रवेश के लिये विशेष रूप से अधिकृत कर सकता है जहाँ आयोग के पास यह मानने के कारण हैं कि केन्द्रीय अधिनियम तथा राज्य अधिनियम के अन्तर्गत न्याय निर्णयन या जाँच की विषय वस्तु से सबंधित दस्तावेज पाये जा सकते हैं तथा वह ऐसे किसी दस्तावेज को अभिगृहीत कर सकता है या उनके उद्धरण या प्रतियाँ ले सकता है।

(बी) केन्द्रीय अधिनियम की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का निर्वाह करते हुए आयोग, इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधानों या उनके

अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों या अनुज्ञप्ति की किन्हीं शर्तों के अनुपालन में असफल रहा है, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा आदेश में निदेशित किसी अन्वेषण प्राधिकारी को अनुज्ञापी या उत्पादक कम्पनी के कार्यकलाप का अन्वेषण कर आयोग को रिपोर्ट देने के लिये निदेशित कर सकता है। इसके लिये आयोग अनुज्ञापियों तथा उत्पादक कम्पनियों को अपनी पुस्तकों में न्यूनतम सूचना बनाये रखने हेतु निदेशित कर सकता है तथा यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसी सूचना को किस रीति से रखना तथा जाँच और सत्यापन अपनाना है।

(सी) आयोग किसी भी समय किसी मामले के सम्बन्ध में सचिव अथवा एक या अधिक अधिकारियों अथवा सलाहकारों या किसी अन्य व्यक्ति को जिन्हें आयोग उचित समझता है, आयोग की अधिकारिकता के भीतर किसी मामले के सम्बन्ध में अध्ययन, अन्वेषण या जानकारी प्रस्तुत करने के लिये निदेश दे सकता है।

(डी) आयोग, उपर्युक्त प्रयोजनार्थ ऐसे अन्य निदेश, जिन्हें वह उपयुक्त समझे, दे सकता है तथा ऐसी समय सीमा विनिर्दिष्ट कर सकता है जिनके भीतर रिपोर्ट अथवा जानकारी प्रस्तुत की जानी है।

(ई) आयोग, किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने और उसकी परीक्षा अनुज्ञात करने तथा आयोग के इस निमित्त विनिर्दिष्ट अधिकारी को बहीयां, लेखे आदि रखने या विनिर्दिष्ट अधिकारी को जानकारी देने के निर्देश जारी कर सकता है या सचिव अथवा किसी अधिकारी को ऐसे निदेश जारी करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है जैसा केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में प्राविधानित है।

(एफ) आयोग, किसी ऐसी जानकारी, विशिष्टियों या दस्तावेजों के, जिन्हें अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में आवश्यक समझता हो, एकत्रण के प्रयोजन के लिए ऐसे निदेश जिन्हें आयोग आवश्यक समझें, जारी कर सकता है और किसी एक या अधिक पद्धतियों का जो केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम में उपबन्धित है अनुसरण कर सकता है।

(जी) यदि प्राप्त की गई कोई रिपोर्ट या जानकारी जो केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या विनियम में विनिर्दिष्ट है, आयोग को अपर्याप्त या अधूरी प्रतीत होती है तो, आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी, अग्रतर जाँच करने तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निदेश दे सकता है।

(एच) आयोग उपर्युक्त के सम्बन्ध में इस प्रकार के आनुषांगिक, परिणामिक और अनुपूरक मामलों पर, जिन्हें सुसंगत समझा जाएं, ध्यान देने के निदेश दे सकता है।

(2) केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम और इस विनियम के अधीन कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में, यदि आयोग उचित समझता है तो, जाँच का एक नोटिस जारी किये जाने के लिये निदेश दे सकता है और इस विनियम के अध्याय 2 के अधीन उपबन्धित रीति से मामले पर कार्यवाही किये जाने के निदेश दे सकता है।

(3) आयोग, किसी भी समय, किसी संस्था, परामर्शदाता, विशेषज्ञ, अभियन्ताओं, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस्, वकील, पर्यवेक्षक और ऐसे अन्य तकनीकी और व्यवसायी व्यक्तियों का, जिन्हें वह आवश्यक समझता है, सहयोग ले सकता है और उनसे किसी भी मामले अथवा विवाद्यक का अध्ययन, अन्वेषण, जाँच करने और रिपोर्ट या रिपोर्ट अथवा कोई जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है। आयोग इस प्रकार के व्यवसायिकों की नियुक्ति के लिए निबंधनों एवं शर्तों का निर्धारण कर सकता है।

अध्याय 9—आर्थिक दण्ड एवं प्रभार

65. आर्थिक दण्ड एवं प्रभार का अधिरोपण

(1) आयोग, स्वयं या प्रभावित व्यक्ति की शिकायत प्राप्त होने पर अर्थदण्ड तथा प्रभार के अधिरोपण तथा प्रतिकर के अधिनिर्णय हेतु कार्यवाही प्रारम्भ कर सकता है, यदि आयोग की दृष्टि में, प्रथम दृष्ट्या, बताये गये तथ्य, उत्पादक कम्पनी, अनुज्ञापी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आयोग के आदेशों या निर्देशों, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों की अपेक्षाओं व प्रावधानों के उल्लघंन या अनुपालन न होना स्थापित करते हों।

(2) यदि आयोग प्राप्त सूचना के आधार पर यह निर्णय करता है कि उस विषय में कार्यवाही का प्रथम दृष्टया कारण है तो वाद निबंधित किया जायेगा तथा उपर्युक्त उपखण्ड (1) के अधीन, जो व्यक्ति उल्लघंन या अंनुपालन न करने का उत्तरदायी हो उसे समुचित समय के भीतर कारण बताने के लिये नोटिस जारी किया जायेगा कि उस पर अर्थदण्ड तथा प्रभार अधिरोपित क्यों न किये जायें ? नोटिस में, अभिकथित, अनुपालन न करने व उल्लघंन के विशिष्ट संदर्भ के साथ अभिकथन के सार का विवरण होगा।

(3) उपस्थिति के लिये नोटिस में निर्धारित तिथि पर, अनुपालन न करने का उल्लघंन के लिये उत्तरदायी व्यक्ति या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को आयोग, उस व्यक्ति द्वारा कथित रूप से, अनुपालन न करने या उल्लंघन के संबंध में स्पष्ट करेगा।

(4) जहाँ, नोटिस के उत्तर में, अनुपालन न करने या उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उपस्थित होता है तथा एक लिखित ज्ञापन द्वारा अभिकथन की सत्यता को स्वीकार करता है, आयोग उत्तर को अभिलेखित करेगा तथा वह केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिये बनाये गये विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से अर्थदण्ड या प्रभार अधिरोपित कर सकता है।

(5) जहाँ अनुपालन न करने व उल्लंघन का उत्तरदायी व्यक्ति, उपस्थिति पर कथित अनुपालन करने व उल्लंघन को स्वीकार नहीं करता है तथा सुनवाई की मांग करता है, आयोग, केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम तथा इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार वाद की सुनवायी के लिये कार्यवाही करेगा।

(6) यदि कोई व्यक्ति जिसको नोटिस जारी किया गया है, बिना किसी समुचित कारण के आयोग के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित तिथि या अन्य कोई तिथि जिसके लिये सुनवाई स्थगित की गयी हो, पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो आयोग अपने विवेकानुसार ऐसे व्यक्ति की अनुपस्थिति में एक पक्षीय कार्यवाही कर सकता है।

(7) आयोग शिकायतकर्ता की सुनवाई की कार्यवाही करेगा तथा ऐसे सभी साक्ष्य लेगा जो कि मौखिक या दस्तावेजी, या शपथ–पत्र द्वारा हो जो कि वाद के समर्थन में प्रस्तुत किये जा सकें तथा वह सभी साक्ष्य लेगा जो कि उस व्यक्ति द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किये जायें जो अनुपालन न करने व उल्लंघन का उत्तरदायी है। जहाँ आयोग द्वारा सूचना मिलने पर कार्यवाही आरम्भ की गयी है, आयोग अपने किसी अधिकारी को इस विषय में शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने तथा वाद में साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये निदेशित कर सकता है।

(8) आयोग के पास कार्यवाही के किसी भी चरण में, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि वाद की परिस्थितियों तथा तथ्यों से परिचित लगता हो, साक्ष्य देने या ऐसे किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने जो कि आयोग की राय में, कार्यवाही की विषयवस्तु से सुसंगत या तात्विक हो, को बुलाने व उपस्थिति के लिये बाध्य करने की शक्ति होगी।

66. समाहरण की प्रक्रिया तथा अर्थदण्ड व प्रभार की वसूली :

(1) यदि किसी कार्यवाही के निष्कर्ष पर आयोग सन्तुष्ट है कि कोई व्यक्ति अर्थदण्ड या प्रभार के लिये दायी है तो आयोग लिखित आदेश द्वारा, केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम तथा इस उद्देश्य हेतु निदेशित विनियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे अर्थदण्ड व प्रभार अधिरोपित कर सकता है तथा प्रतिकर का अधिनिर्णय दे सकता है।

(2) अर्थदण्ड तथा प्रभार की मात्रा अवधारित करते समय आयोग, अन्य के अतिरिक्त, निम्न तथ्यों पर विचार करेगा:

(ए) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन की प्रकृति व विस्तार।

(बी) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन के परिणामस्वरूप सदोष व अनुचित लाभ।

(सी) अनुपालन न करने तथा उल्लघंन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को हुए संताप की मात्रा या हानि।

(डी) अनुपालन न करने तथा उल्लंघन की पुनरावृत प्रवृति।

(3) इस विनियम के अधीन आदेश देते समय, आयोग, अनुपालन न करने व उल्लंघन करते पाये जाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रभावित पक्ष या शिकायतकर्ता को प्रतिकर भुगतान का अधिनिर्णय दे सकता है।

(4) सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा अर्थदण्ड, प्रभार या प्रतिकर के भुगतान जिस अवधि के अन्दर करना है उसे आयोग निदेशित कर सकता है।

(5) केन्द्रीय अधिनियम तथा राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में अर्थदण्ड तथा प्रभार संकलन के लिये आयोग एक अधिकारी को पदाभिहित कर सकता है।

67. परिवाद का वापस लेना और निपटाना :

(1) यदि कोई परिवादी, किसी कार्यवाही में अन्तिम आदेश पारित होने से पहले किसी समय आयोग को सन्तुष्ट कर देता है कि परिवाद में बताये गये उत्तरवादी यदि एक से अधिक उत्तरवादी हैं तथा उन सभी या किसी एक के विरूद्ध परिवाद वापस लेने की अनुमति हेतु पर्याप्त आधार है तो आयोग परिवादी को उसे वापस लेने की अनुमति दे सकता है।

(2) यदि आयोग की यह राय हो कि परिवादी को परिवाद वापस लेने की अनुमति देना समुचित नहीं है तो आयोग यह आदेश दे सकता है कि आयोग जिस रीति से तथा परिवादी के स्थान पर जिस व्यक्ति द्वारा उचित समझे, परिवाद को जारी रखे।

(3) जहां आयोग की यह राय हो कि इस विनियम के अधीन कार्यवाही को जारी रखना अनावश्यक है अथवा प्रक्रिया का दुरूपयोग है तो वह किसी भी चरण में, कारणों का लिखित अभिलेखन करते हुए कार्यवाही को समाप्त कर सकता है।

अध्याय 10—प्रकीर्ण

68. निर्णयों, निदेशों और आदेशों का पुनरीक्षण :

(1) आयोग, किसी भी समय पर स्वतः ही किसी सम्बन्धित व्यक्ति अथवा पक्षकार की याचिका पर, किसी विनिश्चय, निदेश अथवा आदेश के 90 दिन के भीतर, ऐसे विनिश्चय, निदेश या आदेश की पुनरीक्षा कर सकता है और जो भी आदेश वह उचित समझे उसे पारित कर सकता है।

(2) ऐसे पुनरीक्षण के लिए याचिका उसी रीति से फाइल की जाएगी जैसा इस विनियम के अध्याय 2 के अधीन उल्लेखित है।

69. मृत्यु आदि के बाद कार्यवाही जारी रखना :

(1) जहां किसी कार्यवाही के दौरान किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाए अथवा वह दिवालिए के रूप में न्यायनिर्णीत हो जाए या कम्पनी के मामले में वह कम्पनी बन्द/समापन हो जाए, तो कार्यवाहियां उत्तराधिकारी के साथ से ही जारी रहेंगी जैसे सम्बन्धित पक्षकार का कार्यपालक, प्रशासक, प्राप्तकर्ता, परिसमापक या अन्य कानूनी प्रतिनिधि के समय जारी रहती है।

(2) आयोग, कारणों को अभिलिखित कर, कार्यवाही को समाप्त मान सकता है, यदि आयोग ऐसा निदेश देता है तो हितबद्ध उत्तराधिकारियों आदि को वाद के अभिलेख पर लाने की आवश्यकता से अभिमुक्त कर सकता है।

(3) यदि कोई व्यक्ति हितबद्ध उत्तराधिकारियों आदि को रिकार्ड में लाना चाहता है तो इस प्रयोजनार्थ याचिका उस घटना से 90 दिन के भीतर फाइल की जायेगी जिसके सम्बन्ध में हितबद्ध उत्तराधिकारियों को रिकार्ड में लाने की जरूरत है।

70. जनता को बताई जाने वाली कार्यवाहियाँ :

(1) आयोग के समक्ष की जा रही कार्यवाहियाँ जनता के लिए खुली होंगी। तथापि सुनवाई कक्ष में प्रवेश, बैठने के स्थान की उपलब्धता के अनुसार होगा, किन्तु आयोग उपयुक्त समझे तो वह कारणों को लिखित में अभिलिखित कर किसी विशिष्ट वाद के कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर आदेश दे सकता है कि आयोग द्वारा प्रयुक्त कक्ष या भवन में सामान्यतया जनता या कोई विशिष्ट व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहुंच नहीं होगी या उपस्थित नहीं होगा या नहीं रहेगा।

71. याचिका का प्रकाशन :

(1) जहां कोई आवेदन, याचिका अथवा अन्य सामग्री केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या इन विनियमों के अधीन या आयोग के निदेशों के अनुसार प्रकाशित की जानी अपेक्षित हो तो जब तक आयोग अन्यथा रूप से आदेश न दे या केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या विनियमों में अन्यथा रूप में व्यवस्था न की गई हो, उसे सुनवाई की निर्धारित तारीख से पांच दिन से पूर्व, प्रकाशित किया जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ऐसे प्रकाशनों का शीर्षक ऐसा होगा जिनमें सामग्री का विषय संक्षेप में वर्णित होगा।

(3) प्रकाशित किए जाने वाले ऐसे प्रकाशन इस प्रयोजनार्थ आयोग के पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनुमोदित किये जाएंगे।

72. गोपनीयता :

(1) आयोग के अभिलेख, उन हिस्सों को छोड़कर जो आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कारणों से गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, फीस के संदाय और ऐसी शर्तों के जिन्हें आयोग निदेशित करके अनुपालन के अधीन रहते हुए सभी के द्वारा निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किए जाएंगे।

(2) आयोग, उन निबंधनों और शर्तों पर, जिन्हें आयोग उचित समझे, उसके पास उपलब्ध दस्तावेज और कागजातों की प्रमाणित प्रतियाँ को किसी व्यक्ति को प्रदाय करने की व्यवस्था कर सकता है।

(3) आयोग, आदेशानुसार यह निदेश दे सकता है कि कोई सूचना, दस्तावेज और अन्य कागजात तथा सामग्रियां आयोग अथवा उसके किन्हीं अधिकारियों, परामर्शदाताओं, प्रतिनिधियों के समक्ष प्रस्तुत की जाएं या अन्यथा रूप से उनके कब्जे में या अभिरक्षा में आ जाये, वह गोपनीय या विशेषाधिकार प्राप्त होगा और निरीक्षण या प्रतियों के प्रदाय हेतु उपलब्ध नहीं होगा और आयोग यह भी निदेश दे सकता है कि ऐसे दस्तावेज, कागजात अथवा सामग्री का प्रयोग सिवाय आयोग द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत अवस्था के किसी भी हालत में नहीं किया जायेगा।

73. आदेशों तथा निदेशों को कार्यान्वित करना :

(1) आयोग, केन्द्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम तथा इस विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, समय–समय पर विनियमों के कार्यान्वयन तथा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और विधिक मामलों के सम्बन्ध में, जिसके लिए इन विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करने या निदेशित करने के लिए सशक्त किया गया है, आदेश और कार्य निदेश जारी कर सकता है। अनुसरण की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में आदेश दे सकता है और निदेशों को कार्यान्वित कर सकता है।

74. आयोग की अंतर्निहित शक्ति :

(1) इन विनियमों से ऐसा कुछ भी नहीं समझा जाएगा जो आयोग की ऐसी अंतर्निहित शक्ति को न्यायिक दृष्टि से आवश्यक आदेश देने या आयोग की आदेशिका के दुरूपयोग का निवारण करने के लिए सीमित करता हो या अन्यथा प्रभाव डालता हो।

(2) इन विनियमों में अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप ऐसी किसी प्रक्रिया को, अपनाने से आयोग पर कोई वर्जन नहीं होगा, जो इन विनियमों के किसी उपबंध से मतभेद रखते हों, यदि आयोग, मामले या मामलों के वर्ग की विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत लिखित में अभिलेख किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग पर विचार करना आवश्यक या समीचीन समझता है।

(3) इन विनियमों में, स्पष्ट रूप से या विविक्षित रूप से आयोग पर केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के अधीन ऐसे किसी मामले पर कार्यवाही करने या ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग करने पर कोई वर्जन नहीं होगा, जिसके लिए कोई विनियम नहीं बनाया गया है, आयोग ऐसे मामलों, शक्तियों और कृत्यों के संदर्भ में वह कार्यवाही कर सकता है, जो वह उचित समझे।

75. संशोधित करने की साधारण शक्ति :

आयोग, किसी भी समय और लागत के बारे में ऐसी शर्तों पर या अन्यथा जैसा भी वह उचित समझे, उसके समक्ष किसी कार्यवाही में किसी गलती या त्रुटि के सम्बन्ध में संशोधन कर सकता है और सभी आवश्यक संशोधन कार्यवाहियों में उत्पन्न विवाधक वास्तविक प्रश्न के अवधारण करने के प्रयोजन के लिए बनाएगा।

76. कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति :

यदि इन विनियमों के किसी उपबन्ध को प्रभाव देने में कोई कठिनाई आती है तो आयोग, साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा कुछ भी कर सकता है जो इस अधिनियम उपबन्धों के अनुरूप असंगत नहीं है जो ऐसी कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन प्रतीत होना है।

77. विनियमों की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने की शक्ति :

आयोग को, प्रभावित पक्षकारों को नोटिस देकर तथा कारणों को लिखित में अभिलेखन कर ऐसे नियम व शर्तें, जो कि निदेशित की जायें, के अधीन, विशिष्ट मामले या मामलों में विनियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने की शक्ति होगी।

78. विहित समय का विस्तारण या संक्षेपण :

केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, किसी भी कार्य को करने के लिये इन विनियमों द्वारा या आयोग के आदेश द्वारा विहित समय को बढ़ाया जा सकता है (भले ही वह पहले समाप्त हो गया हो या नहीं) या इस समय को आयोग के आदेश द्वारा पर्याप्त कारण से कम किया जा सकता है।

79. अनुपालन न करने का प्रभाव :

इन विनियमों की किसी अपेक्षा का अनुपालन में असफलता, तब तक ऐसी असफलता के कारण किसी कार्यवाही को अविधिमान्य नहीं करेगी, जब तक कि आयोग यह निष्कर्ष पर न पहुचे कि ऐसी असफलता के कारण न्याय का अपवहन हुआ है।

80. लागतें :

(1) ऐसी शर्तों तथा सीमा के अध्यधीन रहते हुए, जो आयोग द्वारा निदेशित किये जाएँ, सभी कार्यवाहियों और अनुषंगिक कार्यों की लागत आयोग के विवेकानुसार प्रदान की जाएगी और आयोग को यह अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि वह किस या किस निधि से व किस मात्रा तक लागतों का संदाय करना है और उसे उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने का पूरा अधिकार है।

(2) लागतों का संदाय, आदेश करने की तिथि से तीस दिन के भीतर या ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जिसे आयोग आदेश के द्वारा निदेशित करे। आयोग का, लागतों का अधिनिर्णयन के आदेश का पालन सिविल न्यायालय की डिक्री/आदेश के अनुसार निष्पादित किया जाएगा।

81. आयोग द्वारा पारित आदेशों का प्रवर्तन :

सचिव, यह सुनिश्चित करेगा कि उपबंधों के आयोग द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन, इस उपबन्धों तथा विनियमों के अनुसार सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किया जाए और यदि आवश्यक हो तो निदेशों के लिए आयोग को आदेश प्राप्त किया जा सकता है।

82. निरसन तथा व्यावृत्ति :

(1) उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2002, समय–समय पर संशोधित के प्रावधान, इस विनियम के प्रभावी होने पर निरस्त हो जायेंगे।

(2) ऐसे निरसन के होने पर भी, किया गया कोई कार्य या की गयी कार्यवाही या तात्पर्य किया गया या की गयी या निरस्त विनियमों के अन्तर्गत निदेशित या निष्पादित कोई लिखित या दिये या जारी किये गये आदेश सहित, विधिमान्य होंगे तथा इस विनियमों के तत्सम्बन्धी प्रावधानों के अधीन किये गये या लिये गये समझे जायेंगे।

प्रपत्र—1

(देखें विनियम 12)

कार्यवाहियों के लिए साधारण शीर्षक

समक्ष—उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

देहरादून

पत्रावली संख्या ____________________

वाद संख्या ____________________

(आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

निम्नलिखित के मामले में :—

(आवेदन पत्र या याचिका के प्रयोजन का उद्देश्य)

तथा

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिकाकर्ता(ओं)/आवेदक(कों) के नाम व पूरे पते)

____________________ याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रत्यार्थी(यों) के नाम व पूरे पते, जिन्हें नोटिस भेजना प्रस्तावित हैं, प्रत्येक प्रत्यार्थी का विवरण अंकित किया जाना है)

____________________ प्रत्यार्थी(यों)

1. **विशिष्ठ वैंधानिक प्रावधान, जिनके अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है :**

   (याचिकाकर्ता द्वारा स्पष्ट किया जायेगा कि किन वैंधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत याचिका दायर की जा रही है। वह यह घोषणा करेगा कि तथ्य, विषयवस्तु, दिशा, निर्णय अथवा आदेश जिसके विरूद्ध वह आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रतितोष चाहता है।)

2. **परिसीमा :**

   (याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा यह भी घोषित किया जाना है कि वर्तमान याचिका निर्दिष्ट समयावधि के अन्तर्गत दायर की गयी है।)

3. **मामले के तथ्य :**

   यह कि मामले के तथ्य निम्नानुसार है :—

   (यहाँ पर मामले के तथ्यों का संक्षिप्त क्रमानुगत विवरण, प्रत्येक पैरा में जहाँ तक सम्भव हो पथ्थक प्रकरण, तथ्य आदि दिये जाए।)

4. **कार्यवाही का कारण :**

5. **अनुतोष का आधार :**

6. **निःशेषित उपायों का विवरण :**

   (याचिकाकर्ता(ओं) यह उद्‌घोषित करेगा कि उसके द्वारा इस प्रयोज्य बनाये गये लागू कानून एवँ नियमों/विनियमों में प्रदत्त समस्त उपायों का उपयोग किया गया हैं।)

7. **प्रश्नगत विषय से सम्बन्धित याचिका पूर्व में दायर किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है :**

   (याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा यह भी उद्‌घोषित किया जायेगा कि उसके द्वारा इससे पूर्व विषयगत प्रकरण पर कोई आवेदन/याचिका या मुकदमा आयोग या किसी अन्य न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष दायर नहीं

किया गया है और न ही वर्तमान में लम्बित है। यदि याचिकाकर्ता के द्वारा इस प्रकरण से सम्बन्धित याचिका इससे पूर्व किसी प्राधिकारी, न्यायालय या आयोग के समक्ष दायर किया गया है तो उसका पूर्ण विवरण, यदि मामला निर्णित हो चुका है तो निर्णय का संक्षिप्त विवरण मय संलग्नक सहित प्रस्तुत किया जाना होगा।)

8. चाहा गया अनुतोष :

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा निम्न प्रार्थना :—

(यहाँ पर याचिकाकर्ता द्वारा चाहे गये अनुतोष और ऐसे अनुतोष(षों) के आधार एवँ विधिक आधार यदि कोई हो आदि का पूर्ण विवरण देना होगा।)

9. अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, की प्रार्थना :

याचिका/आवेदन पर अंतिम आदेश लम्बित होने पर याचिकाकर्ता(ओं) यदि कोई अंतरिम आदेश चाहता है तो इसका विवरण निम्नवत् दें।

(यहाँ पर अंतरिम आदेश, जिसके लिए निवेदन किया गया है, की प्रकृति कारणों सहित का उल्लेख करें)

10. सूचियों का विवरण :

(दिये गये प्रपत्रों एवं पत्रों की स्पष्ट सूची प्रपत्रों का क्रमांक दर्शाते हुए दी जाए)

11. प्रदत्त फीस का विवरण :

12. संलग्नकों की सूची :

1.

2.

3.

4.

(याचिकाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर)

सत्यापन

मैं ———————— (यदि याचिकाकर्ता यदि कोई कम्पनी है, कम्पनी का निदेशक/प्रबन्ध निदेशक, जिसे कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो) पुत्र/पत्नी/पुत्री ———————— (जैसा उपयुक्त हो, दर्शाये) आयु ——— वर्ष कार्यरत (हैसियत) ———— निवासी ———————— उक्त वर्णित पैरा 1 से पैरा ———— तक मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार तथा पैरा ———— से पैरा ——— तक शासकीय अभिलेखों के आधार पर तथा पैरा ———— से पैरा ———— तक विश्वस्त [illegible] के अनुसार सत्य है इनकी सत्यता प्रमाणित करता हूँ तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाये नहीं गये हैं।

याचिकाकर्ता(ओं) के हस्ताक्षर

टिप्पणियां—

1. याचिका कम्पनी के प्रबन्धक निदेशक अथवा निदेशक के द्वारा हस्ताक्षरित तथा प्रमाणित की जायेगी जिसके साथ कम्पनी द्वारा तत्सम्बन्धी पारित प्रस्ताव का विवरण दिया जायेगा)
2. याचिका के साथ याचिकाकर्ता द्वारा संलग्न किये गये शपथ–पत्र को पब्लिक नोटरी, जो नोटरीज् एक्ट, 1952 (अधिनियम 1952 का LIII) में प्राविधानित है, द्वारा प्रमाणित होगा।

प्रपत्र—2

(देखें विनियम 13)

कार्यवाहियों के लिए साधारण शीर्षक

समक्ष–उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग

देहरादून

पत्रावली संख्या ——————————

वाद संख्या ——————————

(आयोग कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

निम्नलिखित के मामले में :—

(आवेदन पत्र या याचिका के प्रयोजन का उद्देश्य)

तथा

निम्नलिखित के मामले में :—

(याचिकाकर्ताओं/आवेदकों के नाम व पूरा पता तथा प्रत्यार्थी के नाम और पूरा पता)

याचिका/उत्तर/आवेदन का सत्यापन करने वाला शपथ–पत्र

मैं, (नाम) —————————— पुत्र/पुत्री/पत्नी/—————————— उम्र —————— व्यवसाय—————————— निवासी ——————————सत्यनिष्ठा से प्रज्ञान करता हूँ और शपथ लेकर निम्न कथन कहता हूँ :

(1) कि अभिसाक्षी—————————— लि0 का प्रबन्ध निदेशक/निदेशक है जो कि कम्पनी के प्रस्ताव दिनांक —————————— से प्राधिकृत है (यदि मामले में याची कम्पनी है) एवँ मामले के तत्थों से भली भाँति परिचित है, निम्न अधिसाक्ष्य देता है:

(2) मैं, ऊपरनामित अभिसाक्षी यह सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र के पैराग्राफ 1 एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या —————— मेरी व्यक्तिगत जानकारी में सत्य हैं याचिका के पैराग्राफ संख्या —————— अभिलेखों के परशीलन पर आधारित है एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या ——————प्राप्त सूचना के आधार पर एवँ याचिका के पैराग्राफ संख्या ——————विधिक सलाह जिन पर, मुझे विश्वास है कि वह सत्य है एवँ सत्यापित करता हूँ कि शपथ–पत्र का को अंश असत्य नहीं है और न ही कोई तत्थ छिपाया गया।

अभिसाक्षी

मैं —————————— अधिवक्ता ——————————

एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि उक्त व्यक्ति, जिसके द्वारा उपरोक्त शपथ–पत्र दिया गया है से मैं प्रस्तुत किये गये अभिलेखों के आधार पर परिचित हूँ तथा मैं सन्तुष्ट हूँ कि जो व्यक्ति, अपने आपको शपथ–पत्रदाता बता रहा है वही व्यक्ति है।

अधिवक्ता

आज दिनांक —————————— दिन —————————— बजे पूर्वान्ह/अपरान्ह में मेरे समक्ष शपथकर्ता को शपथपूर्वक, उपरोक्त अधिवक्ता द्वारा पहचाना गया है।

शपथकर्ता का परीक्षण करने के उपरान्त मैं सन्तुष्ट हूँ कि उसको पढ़कर सुनाये गये शपथ–पत्र के तथ्यों को वह भली–भाँति समझता है उसको भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 के विषय में स्पष्ट कर दिया गया है कि आयोग की कार्यवाही में प्रस्तुत किये गये शपथ–पत्र में जानबूझ कर किसी भी झूठे साक्ष्य के लिए अथवा उद्देश्यपूर्ति के लिये साक्ष्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश करने पर विधि के अन्तर्गत दण्ड का भागी होगा।

नोटरी पब्लिक